रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—73

REGISTERED NO. D. (D. N.)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 17] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 26, 1986/वैशाख 6, 1908

No. 17] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 26, 1986/VAISAKHA 6, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं ।

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 1986

सा. का. नि. 304—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अन्वेषक (योजना सेल), गृह मंत्रालय भर्ती नियम, 1974 के अधिक्रमण में, उन कार्यों को छोड़कर जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किए जा चुके हैं या जिन्हें किए जाने के लिए छोड़ दिया गया है, राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय में अन्वेषक (योजना सेल) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों को अन्वेषक (योजना सेल) गृह मंत्रालय भर्ती नियम, 1986 कहा जाएगा ।

(2) ये नियम इनके सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

2. पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट किए अनुसार होंगे ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, योग्यता, आदि :—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, योग्यता और उक्त पद से संबंधित अन्य मामले, उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 में विनिर्दिष्ट किए अनुसार होंगे ।

4 अयोग्यता :—कोई भी व्यक्ति—

(1) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसका/जिसकी पति/पत्नी जीवित हो, या

(2) जिसने पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया हो,

उक्त पद पर भर्ती के लिए पात्र नहीं होगा :

किन्तु यदि केन्द्रीय सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय कानून के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा किए जाने के अन्य कारण भी हैं तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है ।

5. **छूट देने की शक्ति** :—जहां केन्द्रीय सरकार का मत हो कि ऐसा किया जाना आवश्यक और अनिवार्य है तो वह लिखित रूप में दर्ज किए गए कारणों से और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा किसी भी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियों को इन नियमों के किसी उपबन्ध से छूट दे सकती है।

6. **व्यावृति** :—इन नियमों में निहित किसी बात का केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए अपेक्षित आरक्षणों, आय सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है अथवा गैर चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवार के लिए आयु सीमा	क्या के. सि. से. (पेंशन) नियमावली 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत जोड़े गये सेवा वर्षों का लाभ ग्राह्य है	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यतायें	क्या सीधी भर्ती के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु तथा योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी
1	2	3	4	5	6	6क	7	8
अन्वेषक (योजना सैल)	1* (1986) *कार्यभार के अनुसार पदों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप "बी" अराजपत्रित अलिपिकवर्गीय	550-25-750-द. रो. 30-900 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की विधि सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती होनी हो तो वे ग्रेड जिससे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो उनकी संरचना क्या है	परिस्थितियां जिन में भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है
9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार के अधीन वे अधिकारी : (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पदों पर हों, या ii) जिनकी 425-700/800 रु. वेतनमान वाले या समकक्ष पदों पर 5 वर्षों की नियमित सेवा हो, और (ख) जिनके पास एक विषय के रूप में अर्थशास्त्र/गणित/सांख्यिकी सहित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री हो और जिन्हें सांख्यिकी/आर्थिक आंकड़ों को एकत्र करने, संकलित करने, विश्लेषण करने और निर्वचन करने का अनुभव हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, इस नियुक्ति से तुरन्त पहले उसी संगठन/विभाग में किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित, सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श जरूरी नहीं है।

[सं. ए/12018/6/85-प्रशा. I (ग)]

बी. एम. अरोड़ा, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 10th April, 1986

G.S.R. 304.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Investigator (Planning Cell), Ministry of Home Affairs Recruitment Rules, 1974, except as respects things done or omitted to be done, before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Investigator (Planning Cell) in the Ministry of Home Affairs, namely :—

1. Short Title and Commencement: —(1) These rules may be called the Investigator (Planning Cell), Ministry of Home Affairs Recruitment Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, Classification and Scale of Pay:—The number of the said post, its classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of Recruitment, Age Limit, Qualification etc:— The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualification:—No person,

(i) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(ii) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to Relax:—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons.

6. Saving:—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	6 a	7
Investigator (Planning Cell)	1* (1986) *Subject to variation dependent on work-load	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 550-25-750-EB-30-900	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, gardes from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable	Not applicable	By transfer on deputation	Transfer on deputation : Officers under the Central Government : (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with 5 years' regular service in posts in the scale of Rs. 425-700/800 or equivalent; and (b) possessing a degree of a recognised University with Economics/Mathematics/Statistics as one of the subjects and having experience of collection, compilation, analysis and interpretation of statistical/economic data (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same organisation/department shall ordinarily not exceed 3 years.)	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[No. A-12018/6/85-AD. I (C)]
B. M. ARORA, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 1986

सा.का.नि. 305.—केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ नियम, 1985 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भू-भागों को ऐसे भूभागों के रूप में अधिसूचित करती है जिनके भीतर 1 अक्तूबर, 1985 से आरंभ और 30 सितम्बर, 1986 को समाप्त होने वाले अफीम वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार के लेखे अफीम पोश्त की खेती की जाएगी ;

अनुसूची

भाग 1

मध्य प्रदेश राज्य

भू-भागों का पदाभिधान

जिलों का नाम	विस्तार	
	तहसील	परगना
1. मन्दसौर	नीमच, मन्दसौर, मनसा, भानपुरा, गरोठ, मल्हारगढ़, सीतामऊ और गारोथ	
2. रतलाम	रतलाम, सैलाना, पावरा और अलीराजपुर	
3. झाबुआ	पटेलवाड	
4. उज्जैन	कचरोद और महीदपुर	
5. राजगढ़	जीरापुर	
6. शाजापुर	सुसनेर, आगर, नलखेड़ा और बारोद	

भाग 2

राजस्थान राज्य

(1)	(2)
1 कोटा	अटरू, बारन, रामगंज मंडी, लाडपुरा, संगोद छाबरा और छिपाबरोद
2 बून्दी 3 चितौरगढ़	बून्दी चितौरगढ़, भादेसार, डूंगला, रेगुन, निम्बहेरा छोटी सदरी, बड़ी सदरी, प्रतापगढ़, आरनोद, गंगारार, कपासन और रश्मि
4 अलवार	अलवापहटन, खानपुर, अकलेरा, पचपाथ, पिरावा और मंगधर।	

(1)	(2)
5. उदयपुर	वल्लभ नगर, मावली, धारियावाड़ और उदयपुर (राजस्थान कृषि महाविद्यालय का अनुसंधान केन्द्र)।
6. भीलवाड़ा	मंडलगढ़, कोटरी और जहाजपुर।
7 बांसवाड़ा	घटोल (केवल सेमलिया ग्राम जो चित्तौड़गढ़ जिले के प्रतापगढ़ तहसील की सीमा पर स्थित है।)

भाग 3

उत्तर प्रदेश राज्य

1. फैजाबाद	मोगलसी, खंडसा रथ और नरेन्द्रदेव विश्वविद्यालय (तहसील सदर)
2. आजमगढ़	नाथुपुर और घोसी।
3. गाजीपुर	जमनिया
4. बाराबंकी	सूरजपुर, रुदौली, मवाई, बासुधी, सतरीख, नवाबगंज प्रतापगंज, दरियाबाद, बद्दूसराय, फतेहपुर, सुबेहा, हैदरगढ़, रामनगर, देवा, कुर्सी और सिधौर।
5. लखनऊ	मोहनलालगंज, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान, लखनऊ और केन्द्रीय औषध और सुगंधित पौध संस्थान लखनऊ (परगना और तहसील सदर)।
6. रायबरेली	कुम्हरावन
7. शाहजहांपुर	जलालाबाद, कांट, तिलहर, कटरा और खेरा बाझेरा।
8. बरेली	बरेली, सनेहा, आंवला, सिरौली, सिरौली (उ) फरीदपुर और बल्लिया भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली का इसापुर फार्म।
9. बदायूं	बदायूं, सलेमपुर, उसैत, उझानी, सतासी, बिसौली इस्लाम नगर, सहसवान और कोट।

[सं. 4/86-फा. सं. 616/3/85-अफीम]

वी. कण्णन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 16th April, 1986

G.S.R. .05 .—In exercise of the powers conferred by rule 5 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985, the Central Government hereby notifies the tracts specified in the Schedule annexed hereto as the tracts within which opium poppy may be cultivated on account of the Central Government during the opium year commencing on the 1st day of October, 1985 and ending with the 30th day of September, 1986 :

THE SCHEDULE

PART—I

STATE OF MADYA PRADESH

Designation of Tracts

Name of the District	Extent Tehsil/Pargana
1. Mandsaur	Neemuch, Mandsaur, Manasa, Bhanpura, Jawad, Malhargarh, Sitamau and Garoth.
2. Ratlam	Ratlam, Sailana, Jaora, and Alote.
3. Jhabua	Petlawad.
4. Ujjain	Khachrod and Mahidpur.
5. Rajgarh	Jeerapur.
6. Shajapur	Susner, Agar, Nalkheda and Barod.

PART—II

STATE OF RAJASTHAN

1. Kota	Atru, Baran, Ramganjmandi, Ladpura, Sangod, Chhabra and Chhipabarod.
2. Bundi	Bundi.
3. Chittorgarh	Chittorgarh, Bhadesar, Doongla, Begun, Nimbahera, Chhotisadri, Badi Sadri, Pratabgarh, Arnod, Gangrar, Kapasan and Rashmi.
4. Jhalawar	Jhalawapatan, Khanpur, Aklera, Pachpathar, Pirawa and Gangdhar.
5. Udaipur	Vallabhnagar, Mavli, Dhariawad and Udaipur (Research Station of Rajasthan College of Agriculture).
6. Bhilwara	Mandalgarh, Kotri and Jahajpur.
7. Banswara	Ghatol (only Semlia village bordering Tehsil Pratabgarh of District Chittorgarh).

PART—III

STATE OF UTTAR PRADESH

1. Faizabad	Mogalsi, Khandasa, Rath and Narendra Dev University (Tehsil Sadar).
2. Azamgarh	Nathupur and Ghosi.
3. Ghazipur	Zamania.
4. Barabanki	Surajpur, Rudauli, Mawai, Basudhi, Satrikh, Nawabganj, Prataganj, Dariyabad, Baddu-Sarai, Fatehpur, Subeha, Haidergarh, Ram Nagar, Dewa, Kurshi and Sidhaur.
5. Lucknow	Mohan-lalganj, National Botanical Garden Lucknow and Central Institute of Medicinal and Aromatic Plant, Lucknow (Pargana and Tehsil Sadar).
6. Rai Bareli	Kumhrawan.
7. Shahjahanpur	Jalalabad, Kant, Tilhar, Katra and Khera-Bajhera.
8. Bareilly	Bareilly, Sancha, Aonla, Sirauli, Sirauli (N)Faridpur and Ballia, Isapur Farm of ICAR, New Delhi.
9. Badaun	Badaun, Salempur, Usait, Ujhani, Satasi, Bisauli, Islamnagar, Saharwan and Kot

[No. 4/86-F.No. 616/3/85-OPIUM]

V. Kannon, Under Secy.

उद्योग मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 1986

सा.का.नि. 306—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 620-क की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अन्ना नगर जनोपकारा निधि लि. कम्पनी, जिसका कि पंजीकृत कार्यालय तमिलनाडु राज्य में नं. 106 प्रथम तल, डी ब्लाक-1 एवेन्यू, अन्ना नगर ईस्ट, मद्रास-600102 में स्थित है, को एक 'निधि' घोषित करती है और निदेश करती है कि भारत सरकार के पूर्ववर्ती वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय (कम्पनी विधि प्रशासन विभाग) की दिनांक 28 मई, 1963 की अधिसूचना (जिसे इसके बाद उक्त अधिसूचना कहा जायेगा) को इस अधिसूचना की अनुसूची में निर्दिष्ट प्रकार से संशोधित किया जाएगा और यह भी निदेश करती है कि उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची 3 के कालम (1) में निर्दिष्ट उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त निधि पर लागू नहीं होंगे अथवा जैसा भी मामला हो, उसके कालम (2) में तदनुरूपी प्रविष्टि में निर्दिष्ट अथवा दो संशोधनों तथा रूपान्तरों के साथ लागू होंगे ।

अनुसूची

उक्त अधिसूचना की अनुसूची-1 में, मद 82 तथा उससे संबन्धित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित मद तथा प्रविष्टियां समाविष्ट की जाएंगी, अर्थात्:—

"83. अन्ना नगर जनोपकारा निधि लिमिटेड, मद्रास"

[37/8/85-सी.एल-3]

हरिन्दर सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 11th April, 1986

G.S.R. 306.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 620A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby declares the Anna Nagar Janopakara Nidhi Limited, a company having its registered office at No. 106, First Floor, 'D' Block-1 Avenue, Anna Nagar East Madras-600 102, in the State of Tamil Nadu, to be a "Nidhi" and directs that the notification of the Government of India in the Erstwhile Ministry of Commerce and Industry (Department of Company Law Administration) No. G.S.R. 978, dated the 28th May, 1963 (hereinafter referred to as the said notification) shall be amended in the manner specified in the Schedule to this notification and further directs that the provisions of the said Act specified in column (1) of Schedule III appended to the said notification shall not apply or, as the case may be, shall apply with the exceptions, modifications and adaptations specified in the corresponding entry in column (2) thereof, to the said "Nidhi".

SCHEDULE

In Schedule 1 to the said notification, after item 82 and the entries relating thereto, the following item and entries shall be inserted, namely:—

"83. The Anna Nagar Janopakara Nidhi Limited, Madras."

[37/8/85-CL.III]

HARINDER SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 1986

सा.का.नि. 307—अधिसूचना सं. सा.का.नि. ..... दिनांक 22 अगस्त, 1985 में कम्पनी का नाम 'अन्सालदो एम्पायान्ती एस.पी.ए.' के स्थान पर "अन्सालदो एस.पी.ए. डिवीजन एम्पायान्ती" पढ़ा जायेगा ।

कम्पनी विधि बोर्ड के आदेश से,

[सं. 14/7/85-सी.एल-6]

बी.भवानी शंकर, संयुक्त निदेशक (निरीक्षण)

New Delhi, the 11th April, 1986

G.S.R. 307.—In the notification No. G.SR. dated the 22nd August, 1985, the name of the Company 'Ansaldo Impianti SPA' shall be read as 'Ansaldo SPA Divisione Impianti'.

By order of the Company Law Board.

[No. 14/7/85 CL VI]

B. BHAVANI SANKAR, Jt. Director (Inspection)

कृषि मंत्रालय

(ग्रामीण विकास विभाग)

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 1986

सा.का.नि. 308:—तम्बाकू, श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1937 का संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का एक प्रारूप कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना सं. 10-4/78-ए एम तारीख 17 मार्च, 1983 के अधीन, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 9 अप्रैल, 1983 के पृष्ठ 924—928 पर सा.का.नि. सं. 301 के रूप में प्रकाशित किया गया था जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे,

और उक्त प्रारूप नियमों को कतिपय उपान्तरणों सहित उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना के पुनः प्रकाशित करना वांछनीय समझा गया है ।

अतः अब, तम्बाकू श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1937 का और संशोधन करने के लिए नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाना

चाहती है, उक्त धारा की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों को जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है जनता को उपलब्ध कराए जाने से पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ।

किन्हीं ऐसे आक्षेपों या सुझावों पर, जो ऐसी विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले उक्त प्रारूप नियमों की बाबत किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार विचार करेगी ।

प्रारूप नियम

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम तम्बाकू श्रेणीकरण और चिह्नांकन (संशोधन) नियम, 1986 है ।

2. तम्बाकू श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1937 में—

(i) नियम 3 में—

(क) उपनियम (1) में—

"तम्बाकू में पत्ती के स्ट्रिप्स या डंठल भी हैं किन्तु उनका मिश्रण नहीं और वह चाहे परिष्कृत (यांत्रिक रूप से पुनः शुष्कित) हो या नहीं" वाक्य के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"तम्बाकू में निम्नलिखित हो सकते हैं:—

(क) संपूर्ण पत्ती या

(ख) स्ट्रिप्स—(इसका मतलब ऐसी पत्तियों से है जिनमें मध्य शिरा का निचला भाग पूरी पत्ती से कम से कम 3/5 अंश तक या पूरी पत्ती की लम्बाई के 60 प्रतिशत तक निकाल दिया गया हो) या

(ग) डंठल—(पत्ती के आधार से पत्ते की लम्बाई के 3/5 अंश तक या लम्बाई के 60 प्रतिशत तक डंठल निकाले बिना पत्तियों की मध्यशिरा) या

(घ) अग्र पत्ती—(इसका मतलब है डंठल वाले सिरे से पूरी पत्ती की लम्बाई का 75 से 85 प्रतिशत भाग) या

(ङ) पत्ती शीर्ष या पत्ती अग्रक—(इसका मतलब है पत्ती के शीर्ष या ऊपरी सिरे से पूरी पत्ती की लम्बाई का 15 से 25 प्रतिशत अंश, जो कि कटा या कतरा हुआ हो, किन्तु इसका मिश्रण न हो और वह चाहे अनुकूलित (यांत्रिक रूप से पुनः शुष्कित) हो या न हो । जहां तक "अग्र पत्ति" का संबन्ध है, यांत्रिक कतरन में आकस्मिक त्रुटियों की संभावनाओं को देखते हुए इस प्रक्रिया में पूरी पत्ती के 5 प्रतिशत अंश के रहने की छूट दी जा सकती है ।"

(ग) पाद टिप्पण में "+" और ** से संबन्धित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(ii) अनुसूची III में—

(क) श्रेणी अभिधान "बी एस 2+" और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"श्रेणी अभिधान	विशेष लक्षण		
	रंग	बनावट	कलुष**
1	2	3	4
डंठल+	—	—	जिसके अंतर्गत डंठल के टुकड़े भी होंगे ।

(ख) पाद टिप्पण +(i) के पैरा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"+(i) इस श्रेणी के अधीन पैकिंग की अनुज्ञा वांछित उपज की क्वालिटी और मात्रा उपदर्शित करने वाले निश्चित आदेश के अधीन दी जाएगी बशर्ते कि ऐसी क्वालिटी और मात्रा निर्यात के योग्य ठीक समझी गई हो ।

(iii) अनुसूची—में,—

(क) श्रेणी अभिधान "डब्लू बी एस 2" और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

श्रेणी अभिधान	विशेष लक्षण		
	रंग+	बनावट	कलुष@
1	2	3	4
डंठल	—	—	जिसके अंतर्गत डंठल के टुकड़े भी होंगे ।

(ख) "*" चिह्न से प्रारम्भ होने वाले पाद टिप्पण में, "सूर्यसंसाधित" शब्द के पहले "तम्बाकू में" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित शब्द अंत: स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"वायु संसाधित और",

(ग) पाद टिप्पण £ के पैरा (i) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(1) इस श्रेणी के अधीन पैकिंग की अनुज्ञा वांछित उपज की क्वालिटी और मात्रा उपदर्शित करने वाले निश्चित आदेश के अधीन दी जाएगी बशर्ते कि ऐसी क्वालिटी और मात्रा निर्यात के योग्य ठीक समझी गई हो ।"

(iv) अनुसूची 17 में—

(क) श्रेणी अभिधान "डी डब्ल्यू. एफ" और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"श्रेणी अभिधान	विशेष लक्षण					
	रंग	बनावट	मुख्य भाग	कलुष	आकार	सुरभि
1	2	3	4	5	6	7
डंठल*	—	—	—	जिसके अंतर्गत डंठल के टुकड़े भी होंगे ।	—	—"

(ख) निम्नलिखित पाद टिप्पण जोड़ा जाएगा, अर्थात् :

"(1) इस श्रेणी के अधीन पैकिंग की अनुज्ञा वांछित उपज की क्वालिटी और मात्रा उपदर्शित करने वाले निश्चित आदेश के अधीन दी जाएगी बशर्ते कि ऐसी क्वालिटी और मात्रा निर्यात के योग्य ठीक समझी गई हो।

(2) श्रेणी अभिधान केवल तभी चिपकाया जाएगा जब पैकिंग डाक वैम्टर्न अग्नि संसाधित तम्बाकू को श्रेणीकृत और चिन्हित करने के लिए प्राधिकृत फैक्टों के विनिर्दिष्ट परिसरों पर की जाती है और पैकिंग समक्ष प्राधिकारी के पर्यवेक्षणाधीन की जाएगी ।"

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग (1) तारीख 20-3-1937 में भारत सरकार के कृषि अनुसंधान की इंपीरियम परिषद की अधिसूचना सं. एफ 51(44)/बी/36 जी, तारीख 17-3-1937 के अधीन प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमें निम्नलिखित संशोधन किया गया:—

(1) पहला संशोधन भारत के राजपत्र भाग II खंड 3, तारीख 23-9-50 में प्रकाशित का.नि.आ. 646 द्वारा ।

(2) दूसरा संशोधन भारत के राजपत्र, भाग II खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 19-12-1964 में प्रकाशित का.आ. 4261 तारीख 11-12-1964 द्वारा ।

(3) तीसरा संशोधन भारत के राजपत्र, भाग II खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 17-7-1965 में प्रकाशित का.आ. 2058 तारीख 3-7-1965 द्वारा ।

(4) चौथा संशोधन भारत के राजपत्र, भाग II खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 28-1-1967 में प्रकाशित का.आ. 304 तारीख 17-1-1967 द्वारा

(5) पांचवां संशोधन भारत के राजपत्र, भाग II खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 30-6-1979 में प्रकाशित का.आ. 2243 तारीख 12-6-1979 द्वारा ।

(6) छठा संशोधन भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (2) तारीख 15-12-79 में प्रकाशित का.आ. 4013 तारीख 30-11-79 द्वारा ।

(7) सातवां संशोधन भारत के राजपत्र, भाग II खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 17-7-1982 में प्रकाशित का.आ. 2511 तारीख 7-7-1982 द्वारा ।

[सं० 10-985-एम०I]

बी.के. बजाज, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Rural Development)

New Delhi, the 8th April, 1986

G.S.R. 308.—Whereas certain draft rules to amend the Tobacco Grading and Marking Rules, 1937, were published as required by Section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) under the notification of the Government of India, in the Ministry of Rural Development No. 10-4|78-AM dated the 17th March, 1983 as G.S.R. 301 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 9th April, 1983 on pages 924—928, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby;

And whereas it has been considered desirable to publish the said draft rules again with certain modifications for the information of all persons likely to be affected thereby;

Now, therefore, the following draft rules, further to amend the Tobacco Grading and Marking Rules, 1937, which the Central Government proposes to make in exercise of powers conferred by section 3 of the said Act, are published as required by the said section for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration on or after the expiry of fortyfive days from the date on which the copies of the Gazette of India in which this notification is published are made available to the public.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT RULES

1. These rules may be called the Tobacco Grading and Marking (Amendment) Rules, 1986.

2. In the Tobacco Grading and Marking Rules, 1937—

(i) in rule 3,—

(a) in sub-rule (1), for the sentence beginning wtih the words, "The tobacco may consist of leaf" and ending with the the word "or not", the following shall be substituted, namely:—

"The Tobacco may consist of—

(a) Whole leaf; or

(b) Strips—(means tobacco leaves in which the lower part of mid-rib to the extent of at least threefifths or 60 per cent of the length of whole leaf shall have been removed); or

(c) Stems—(Mid-ribs of leaves without butts removed to the extent of threefifths or 60 per cent of the length of leaf from the base of the leaf); or

(d) Tipped leaf—(means 75 to 85 per cent of the length of whole leaf from the buttend); or

(e) Leaf Tips—(means 15 to 25 per cent of the length of whole leaf from the tip or apex of the leaf, which is either clipped or cut but not mixtures thereof and may be reconditioned (mechanically redried), or not. To allow for accidental errors in mechanical cutting; presence of whole leaf to the extent of 5 per cent shall be allowed in case of "Tipped leaf".

(b) in the footnote the entries relating to 'plus' and '**' shall be deleted;

(ii) In the Schedule III,

(a) After the grade designation "VS 2 plus" and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

Grade Designation	Special Characteristics		
	Colour@	Texture@	Blemish**
1	2	3	4
Stems. +	..	..	May include pieces of stems.

(b) Paragraph (i) of the footnote 'plus (i)' shall be substituted by the following, namely:—

"(i) packing under this grade shall be permitted under firm order indicating the quality and quantity of produce desired, provided such quality and quantity are considered fit for export.";

(iii) in the Schedule X,—

(a) after the grade designation 'WBSZ£' and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

Grade Designation	Special Characteristics		
	Colour+	Texture+	Blemish@
1	2	3	4
Stems£	..	..	May include pieces of stems.

(b) in the footnote beginning with the mark '*', after the words 'consist of', the following words shall be inserted, namely;—"aircured and";

(c) paragraph (i) of the footnote £ shall be substituted by the following, namely:—

"(i) packing under this grade shall be permitted under firm order indicating the quality and quantity of produce desired, provided such quality and quantity are considered fit for export";

(iv) in the Schedule XVII,—

(a) after the grade designation 'DWT' and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

Grade designation	Special characteristics					
	Colour	Texture	Body	Blemish	Size	Aroma
1	2	3	4	5	6	7
Stems*	..	..	..	May include pieces of stems	..	..

(b) the following footnote shall be added, namely:—

"*(i) Packing under this grade shall be permitted under firm order indicating the quality and quantity of the produce desired, provided such quality and quantity are considered fit for export.

(ii) The grade designation shall be affixed only when the packing is done at the specified premises of packers authorised to grade and mark the Dark Western Firecured Tobacco and the packing shall be done under the supervision of the competent authority."

NOTE :—

Principal Rules published under the notification of the Government of India in the Imperial Council of Agricultural Research No. F. 51/(44)/V/36G, dated 17-3-1937 in the Gazette of India Part-I, dated 20-3-1937 and were subsequently amended by:—

(1) 1st amendment by S.R.O. 646 of the Gazette of India Part II, Section 3, dated 23-9-1950.

(2) 2nd amendment by S.O. 4261 dated 11-12-1964 of the Gazete of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 19-12-1964.

(3) 3rd amendment by S.O. 2058 dated 3-7-1965 of Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 17-7-1965.

(4) 4th amendment by S.O. 304 dated 17-1-1967 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 28-1-1967.

(5) 5th amendment by S.O. 2243, dated 12-6-1979 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 30-6-1979.

(6) 6th amendment by S.O. 4013 dated 30-11-1979 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 15-12-1979, and

(7) 7th amendment by S.O. 2511 dated 7-7-1982 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 17-7-1982.

[No. 10-9|85-M.I]

B. K. BAJAJ, Under Secy.

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 1986

शुद्धिपत्र

सा.का.नि. 309:—भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 19 जनवरी, 1985 में प्रकाशित भारत सरकार के कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अधिसूचना सं.सा.का.नि. 60 तारीख 20 जनवरी, 1985 की अनूसूची के स्तम्भ 4 में 1200-1700 रु. अंको और अक्षर के स्थान पर 1200-50 1700 रुपए अंक और शब्द पढ़ें'।

[सं. 13-5-83-पी.पी.-2]

ए०एम०सिंह, अवर सचिव

(Department of Agriculture and Cooperation)

New Delhi, the 10th April, 1986

CORRIGENDUM

G.S.R. 309.—In the Notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Cooperation) No. GSR 60 dated the 4th January, 1985 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i) dated the 19th January, 1985 in column 4 of the Schedule for "Rs. 1200-1700" read "Rs. 1200-50-1700"

[No. 13-5/83 PPII]

A. M. SINGH, Under Secy.

कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 1986

सा.का.नि. 310:—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अन्वेषक (गृह मंत्रालय अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के लिए आयोग और अनुसूचित जाति व जनजाति के आयुक्त का कार्यालय) भर्ती नियम, 1984 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम अन्वेषक (गृह मंत्रालय, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए आयोग और अनुसूचित जाति व जनजाति के आयुक्त का कार्यालय) (भर्ती संशोधन) नियम 1986 होगा।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. अन्वेषक (गृह मंत्रालय, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए आयोग और अनुसूचित जाति व जनजाति के आयक्त का कार्यालय) भर्ती नियम 1984 और सम्बद्ध अनुसूची में शब्द "गृह मंत्रालय" जहां कहीं भी हो, के स्थान पर शब्द "कल्याण मंत्रालय" प्रतिस्थापित किया जाए।

[सं० बी०सी०-13012/1/84-एससी एवं बीसीडी-वी०आई०]

MINISTRY OF WELFARE

New Delhi, the 11th April, 1986

G.S.R. 310.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Investigator (Ministry of Home Affairs, Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the office of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Recruitment Rules, 1984, namely:—

(1) These rules may be called the Investigator (Ministry of Home Affairs, Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the office of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Recruitment (Amendment) Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Investigator (Ministry of Home Affairs, Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the office of the Commissioner for Scheduled Castes and Schedule Tribes) Recruitment Rules, 1984, for the words "Ministry of Home Affairs" wherever they occur, the words "Ministry of Welfare" shall be substituted.

[No. BC-13012/1/84-SC&BCD-VI]

सा.का.नि. 311—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुसूचित जनजाति के लिए आयोग और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त, तथा गृह मंत्रालय (ग्रुप "क" पदों) भर्ती नियम, 1984 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है :—

1. (1) इन नियमों का नाम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आयोग और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त तथा गृह मंत्रालय (ग्रुप "क" पदों) भर्ती (संशोधन) नियम, 1986 होगा।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. (1) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आयोग और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त तथा गृह मन्त्रालय (लर्ग "ए" पदों) भर्ती नियम 1984 और सम्बद्ध अनुसूची में शब्द "गृह मंत्रालय" जहां कहीं भी हों के स्थान पर शब्द "कल्याण मंत्रालय" प्रतिस्थापित किए जाएं।

(2) अनुसूची में मद (क) (i) के स्थान पर स्तम्भ 11 में शीर्षक "प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण" के नीचे निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएं अर्थात् :—

"वह अधिकारी जिसकी भारतीय प्रशासनिक सेवा/केन्द्रीय सिविल सेवा ग्रुप "क" या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सलैक्शन ग्रेड अधिकारी या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 अधिकारी जिसकी 9 वर्ष की सेवा हो भारत सरकार के उपसचिव के पद पर नियुक्ति के पात्र है।"

टिप्पणी :—मूल नियम भारत के दिनांक 15 सितम्बर, 1984 के राजपत्र में सा.का.नि. सं. 958 के साथ प्रकाशित हुए थे।

[सं० बी०सी-13012/1185-एससी एवं बीसीडी-वी०आई०]

G.S.R. 311.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Commisson for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the Ministry of Home Affairs (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 1984, namely :—

1. (1) These rules may be called the Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, and the Ministry of Home Affairs (Group 'A' Post) Recruitment (Amendment) Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. (1) In the Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the Commissoner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the Ministry of Home Affairs (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 1984 and in the Schdule appended thereto, for the words "Ministry of Home Affairs" wherever they occur, the words "Ministry of Welfare" shall be substituted.

(iv) intimation of examination results;

Provided that classes of inland telegrams specified in rule 16 shall be accepted and transmitted during closed hours of an Office authorised to handle such telegrams, on payment of late fee.

(3) Express telegrams shall have precedence over ordinary telegrams in transmission only.

(4) All inland telegrams shall be delivered by any telegraph office during its normal working hours:

Provided that ordinary telegrams other than the categories specified in clause (a) and Sub-clauses (i) and (ii) of clause (b) of sub-rule (2) received between 2200 hours and 0600 hours shall sent out for delivery after 0600 hours.

(5) (a) Telegrams accepted under rule 16A and express telegrams shall be sent out for delivery if received between 2200 and 0600 hours only if the sender has inserted the special instruction 'Night' at the time of booking of the telegram.

(b) The word "Night" shall be charged for as one word at express or ordinary rate depending on the class of the telegram".

[35-16/85/T-2]

J. R. MANCHANDIA, Asstt. Director General

NOTE :—

The following notifications after publication of the principal rules in the P&T Manual Volume-I, Part-II (Legislative Enactments) as corrected upto 1-9-1984, further amending the said rules have been issued namely:—

(1)	GSR	No.	387(E)	Dated	22-05-84
(2)	GSR	No.	679	Dated	30-06-84
(3)	GSR	No.	428	Dated	27-04-85
(4)	GSR	No.	729	Dated	03-08-85
(5)	GSR	No.	982	Dated	19-10-85

परिवहन मंत्रालय

(जल-भूतल परिवहन विभाग)

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1986

दीपघर और दीपपोत

सा.का.नि. 315 :— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति प्रकाश स्तम्भ और प्रकाश पोत विभाग (समूह "क" और "ख" राजपत्रित तकनीकी पद भर्ती, नियम, 1977) में संशोधनार्थ निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) यह नियम प्रकाश स्तम्भ और प्रकाश पोत विभाग (समूह "क" और "ख" राजपत्रित तकनीकी पद) भर्ती संशोधन नियम 1986 कहलायेंगे।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने के पश्चात् लागू होंगे।

2. प्रकाश स्तम्भ और प्रकाश पोत विभाग (समूह "क" और "ख" राजपत्रित तकनीकी पद भर्ती) नियम, 1977 की अनुसूची में स्टेशन इंजीनियर (डेक्का चेन/सहायक कार्यपालक इन्जीनियर (रेडियो) से संबन्धित क्रम सं. 12 के सम्मुख, कालम 7 के नीचे, निम्नलिखित प्रविष्टियां की जाएंगी :—

"अनिवार्य :

मान्यताप्राप्त या उसके समकक्ष विश्वविद्यालय से दूर संचार/इलेक्ट्रानिक्स इन्जीनियरिंग/विद्युत इंजीनियरिंग की डिग्री जिसमें रेडियो संचार विशेष विषय के रूप में लिया है।

नोट 1 :— इन योग्यताओं में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक के आधार पर छूट दी जा सकती है बशर्ते अभ्यर्थी बहुत अधिक योग्य हो।

नोट 2 :—यदि किसी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग का यह मत हो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों पर भर्ती के लिए इन वर्गों से समुचित संख्या में अपेक्षित अनुभव वाले अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो संघ लोक सेवा आयोग अनुभव के संबन्ध में योग्यता में छूट दे सकता है।

वांछनीय :

1. एम एफ रेडियो बेकन के संस्थापन का अनुभव।

2. बेतार क्षेत्र में अनुभव जिसमें बेतार ट्रांसमीटरों व रिसीवरों के अनुरक्षण व संस्थापन का अनुभव शामिल है।"

[एस डब्ल्यू/एल—एल ई—83/82-एम टी]

डी. डी. सूद, अवर सचिव

फुट नोट : मुख्य नियम अधिसूचना सं० एल एल ई-164/74 दिनांक 11-7-1977 (जी एस आर सं० 996 दिनांक 30-7-77) के तहत प्रकाशित हुए थे तथा निम्नांकित अधिनियम/राजपत्र के तहत संशोधित किए गए —

1- सं० एल एल ई-2/77 दिनांक 26-7-1978

2- सं० एल एल ई-164/74 खंड-II दिनांक 13-3-79

3- सं० एल एल ई-164/74 खंड-II दिनांक 12-9-79

MINISTRY OF TRANSPORT

(Department of Surface Transport)

New Delhi, the 7th April, 1986

LIGHTHOUSES AND LIGHTSHIPS

G.S.R. 315.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Department of Lighthouses and Lightships (Recruitment to

Group 'A' and Group 'B' Gazetted Technical posts) Rules 1977, namely:—

1. (1) These Rules may be called the Department of Lighthouses and Lightships (Recruitment to Group 'A' and Group 'B' Gazetted Technical posts) (Amendment) Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Department of Lighthouses and Lightships (Recruitment to Group 'A' and Group 'B' Gazetted Technical posts) Rules, 1977, against serial number 12 relating to the post of Station Engineer (Decca Chain)/ Assistants Executive Engineer (Radio) under column 7, for the entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"Essential :

Degree in Telecommunication/Electronics and Communication Engineering/Electrical Engineering with Radio Communication as a special subject from a recognised University or equivalent.

Note 1. Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates otherwise well qualified.

Note 2. The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Desirable :

(1) Experience in the installation of M.F. Radio Beacon.

(2) Experience in the wireless field including installation and maintenance of wireless transmitters and receivers."

[File No. SW/LLE-83/82-MT.]

D. D. SOOD, Under Secy.

Foot Note : The principal rules were pulished vide Notification No. LLE-164/74 dated 11-7-1977 (GSR No. 996 dated 30-7-1977) and have been amended vide Notification/gazette detailed below:—

No. LLE-2/77 dated 26-7-1978 (GSR No. 1008 dated 12-8-1978).

No. LLE-164/74-Vol-II dated 13-3-1979 (GSR No. 426 dated 17-3-1979).

No. LLE-164/74-Vol-II dated 12-9-1979 (GSR No. 1195 dated 22-9-1979).

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 अप्रैल, 1986

सा.का.नि. 316 :—खान नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए कतिपय संशोधनों का एक प्रारूप, खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 59 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार, के भूतपूर्व श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 802(अ) तारीख 3 दिसम्बर, 1984 के अधीन भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2 खंड 3, उपखंड (i) तारीख 3 दिसम्बर, 1984 में प्रकाशित किया गया था जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन मास की अवधि के अवसान तक आक्षेप या सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त राजपत्र 3 दिसम्बर 1984 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रारूप के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 58 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त प्रारूप को उक्त अधिनियम के अधीन गठित खान बोर्डों को निर्दिष्ट करने के पश्चात् और ऐसे बोर्डों को उक्त अधिनियम की धारा 59 की उप धारा (4) की अपेक्षानुसार उक्त नियमों को बनाने की समीचीनता और उनकी उपयुक्तता के बारे में रिपोर्ट करने के युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, खान नियम 1955 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खान (संशोधन) नियम, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खान नियम, 1955 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 के विद्यमान खण्ड (झ) को खण्ड (ञ) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायेगा, इस प्रकार पुनः संख्यांकित खण्ड (ञ) से पहले निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

(झ) "कैन्टीन का भारसाधक अधिकारी से (प्रबंधक से भिन्न) ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे स्वामी या अनिकर्ता कैन्टीन से संबंधित उपबंधों का अनुपालन करने के लिए नियुक्त करे।"

3. उक्त नियमों के अध्याय 2 में,—

(1) "खान बोर्ड" शीर्षक के स्थान पर, "समिति" शीर्षक रखा जायेगा;

(2) "बोर्ड" शब्द के स्थान पर, जहां-जहां वह आता है, "समिति" शब्द रखा जायेगा;

(3) उक्त नियमों के नियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, अर्थात् :—

"3. पदावधि—अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (ग), (घ), और (ङ.) में निर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि, राजपत्र में उन

की नियुक्ति अधिसूचित किये जाने की तारीख से 3 वर्ष होगी :

परन्तु कोई सदस्य, 3 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर भी, तब तक पद धारण करता रहेगा, जब तक उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति राजपत्र में अधिसूचित नहीं कर दी जाती है :

परन्तु यह और कि कोई ऐसा सदस्य जिसकी नियुक्ति आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए की गई है, उस सदस्य की पदावधि की शेष अवधि तक पद धारण करेगा जिसके स्थान पर उसकी नियुक्ति की गई है और पदावधि के समाप्त हो जाने पर तब तक अपना पद धारण करता रहेगा जब तक उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति राजपत्र में अधिसूचित नहीं कर दी जाती है ।"

(4) उक्त नियमों के नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, अर्थात् :—

"4. समिति का सचिव—मुख्य निरीक्षक द्वारा इस निमित्त नामनिर्दिष्ट खानों को कोई निरीक्षक समिति के सचिव के रूप में कार्य करेगा ।"

(5) उक्त नियमों के नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"5. पारिश्रमिक—समिति के सदस्य ऐसा मानदेय प्राप्त करेंगे जो केन्द्रीय सरकार नियत करे ।"

(6) उक्त नियमों के नियम 6 का लोप किया जायगा ;

(7) उक्त नियमों के नियम 12 में—

(क) उप नियम (1क) का लोप किया जायेगा ।

(ख) विद्यमान उप-नियम (2) को उप-नियम (3) के रूप में पुनः संख्याकित किया जाएगा और

इस प्रकार पुनः संख्यांकित उप-नियम (3) के पहले, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जायेग अर्थात् :—

"(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट सूचनाएं सदस्य के सामान्य निवास स्थान पर परिदत्त की जायेंगी या डाक से भेजी जायेंगी ।"

(8) उक्त नियमों के नियम 14 में "चार सदस्य" शब्दों के स्थान पर "चार सदस्य जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी है" शब्द रखे जायेंगे ।

4. उक्त नियमों के नियम 22 में—

(1) उपनियम (1) में "जिसके अन्तर्गत जांच से संबंधित कोई अन्य व्यय भी है" शब्दों के स्थान पर "जिस के अंतर्गत न्यायालय की पूर्व मंजूरी से उपगत व्यय और जांच के संबंधित ऐसा बोर्ड अन्य व्यय जिन्हें न्यायालय वसूल किए जाने योग्य निर्दिष्ट करे" शब्द रखे जाएंगे ;

(2) उप नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(2) उप-नियम (1) के अधीन वसूल की जाने के लिए निर्दिष्ट रकम, मुख्य निरीक्षक या संबंधित प्राधिकरण के किसी निरीक्षक द्वारा आवेदन किये जाने पर, स्वामी से उसी रीति से वसूल की जायेगी जिस रीति से भू-राजस्व की बकाया वसूल की जाती है ।"

5. उक्त नियमों के नियम 24 में,—

(1) उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जायेगा, अर्थात् :—

"(1) अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के अधीन निर्देश प्राप्त होने पर, प्रमाण कर्ता सर्जन स्वास्थ्य परीक्षा के लिये, तारीख समय और स्थान के बारे में पूर्व सूचना देने के पश्चात् और ऐसी परीक्षा के लिए भेजे गए व्यक्तियों की परीक्षा करने पर, आयु और योग्यता से संबंधित प्रमाणपत्र तैयार करेगा और उसकी एक प्रति अपने पास रख लेने के पश्चात् उसे सम्बद्ध खान के प्रबंधक को परिदत्त कर देगा;"

(2) उप नियम, (3), (4) और (5) का लोप किया जायेगा ।

6. उक्त नियमों के नियम 25, 26 और 27 का लोप किया जायेगा ।

7. उक्त नियमों के नियम 28 के उप-नियम (1) में, "धारा 40 या" शब्दों और अंकों का लोप किया जायेगा ।

8. उक्त नियमों के नियम 29 का लोप किया जायेगा ।

9. उक्त नियमों के अध्याय 4क के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"अध्याय 4 ख

कर्मकार निरीक्षक और सुरक्षा समिति"

29थ—कर्मकार निरीक्षक,—(1) (क) ऐसी हर खान में, जिसमें सामान्यतः 500 या उससे अधिक व्यक्ति नियोजित हैं, स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक, खान में रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ और जहां एक से अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ हैं वहां, व्यवहार में प्रक्रिया के अनुसार मान्यता प्राप्त संघ या उस समय उपलब्ध सदस्यता अभिलेख के अनुसार सर्वाधिक प्रतिनिधि वाले संघ के परामर्श से और यदि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ नहीं है तो कर्मकारों के निर्वाचित प्रतिनिधि के परामर्श से, खान के तीन उपयुक्त अर्हित कर्म-

चारियों को, खनन संक्रियाओं, विद्युत संस्थापनों और यांत्रिक संस्थापनों में से प्रत्येक के लिए एक एक तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में उसमें नियोजित कर्मकारों की ओर से खान का निरीक्षण करने के लिए पदाभिहित करेगा। जब किसी खान में नियोजित व्यक्तियों की संख्या 1500 से अधिक हो जाए, तब कर्मकार निरीक्षक की सहायता, प्रत्येक अतिरिक्त 1000 व्यक्तियों या उसके भाग के लिए खनन शाखा में एक अतिरिक्त कर्मकार निरीक्षक द्वारा की जाएगी।

(ख) हर खान में, स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक, खंड (क) में अभिकथित रीति से, कर्मकार निरीक्षकों का एक पैनल गठित करेगा, जो नियमित कर्मकार निरीक्षकों की अनुपस्थिति के दौरान प्रतिस्थानी के रूप में कार्य कर सकेगा।

(ग) पैनल में, खनन, विद्युत और यांत्रिक संस्थापन तथा संक्रियाओं में से प्रत्येक के लिए कम-से-कम एक-एक कर्मकार निरीक्षक होगा।

(2) कोई भी व्यक्ति, किसी खान के कर्मकार निरीक्षक के रूप में तब तक कार्य नहीं करेगा, जब तक कि,—

(क) उसके पास अधिनियम के अधीन दिया गया ओवरमैन या फोरमैन का प्रमाणपत्र न हो, परन्तु—

(1) खानों में संस्थापित विद्युत मशीनरी के संबंध में, भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 के अधीन विरचित, भारतीय विद्युत नियम, 1956 के नियम 131 के उप नियम (1) के खंड (2) के साथ पठित नियम 45 के उपनियम (1) के अधीन जारी किया गया विद्युत पर्यवेक्षक, का विधिमान्य सक्षमता प्रमाणपत्र, जिसके अंतर्गत खनन संस्थापन भी हो, धारण कर रहे व्यक्ति को इस प्रकार पदाभिहित किया जाएगा; और

(2) खानों में संस्थापित अन्य मशीनरी और यांत्रिक साधित्रों के संबंध में, खान में संस्थापन के परिचालन और मशीनरी की चालू हालत में अनुरक्षण की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति को जो ओवरमैन, खान फोरमैन या विद्युत पर्यवेक्षक की प्रास्थिति से कम न हो, इस प्रकार पदाभिहित किया जाएगा।

(ख) उसके पास खानों में काम करने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव न हो, जिसके अंतर्गत उन खानों के, जिनके लिए उसका नाम निर्देशन किया गया है, कार्यकरण में कम से कम दो वर्ष का अनुभव भी है, और

(ग) उसने कर्मकार निरीक्षक के लिए कोई ऐसा अभिसंस्करण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जो मुख्य निरीक्षक द्वारा किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट पाठ्य-विवरण के अनुसार और उसके द्वारा अनुमोदित किसी केन्द्र में कम से कम तीस व्याख्यान और निर्देशन, प्रत्येक की अवधि दो घंटे से कम न हो, से मिलकर बना हो प्राप्त न किया हो।

(3) कर्मकार निरीक्षक, नियम 29द के उपनियम (1) के खण्ड (क) में उल्लिखित कर्तव्यो का पालन प्रत्येक सप्ताह में दो दिन करेगा; सप्ताह के शेष दिनों में, वह अपने सामान्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जब तक कि उस नियम 29द के उपनियम (1) के खण्ड (ख) और (ग) में उल्लिखित कर्तव्यों के पालन के लिये अपेक्षा न की जाये।

(4) (क) स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक, कर्मकार निरीक्षक को, उसके कर्तव्यों से संबंधित किसी प्रविष्टि, निरीक्षण, माप, परीक्षा या जांच करने के लिए सभी उचित सुविधाएं देगा।

(ख) खान का कोई पदधारी, कर्मकार निरीक्षक के साथ उसके निरीक्षण के दौरान रहेगा।

(ग) कर्मकार निरीक्षक किसी भी समय अपना निरीक्षण कर सकेगा।

(5) जब किसी खान में या उसके आसपास कोई दुर्घटना या खतरनाक घटना हो जाती है तब, स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक, ऐसी दुर्घटना या घटना की सूचना संबंधित कर्मकार निरीक्षक को तत्काल देगा।

(6) कर्मकार निरीक्षक, खान के कार्य में अड़चन या बाधा डालने के लिये अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा।

(7) उप-नियम (1) के अधीन नामनिर्दिष्ट कर्मकार निरीक्षक, जब तक कि वह अपने पद का त्याग न कर दे, अपने नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये पद धारण करेगा और एक बार पुनः नामनिर्देशन का पात्र होगा।

(8) कोई भी स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक, कर्मकार निरीक्षक के विरुद्ध, इन नियमों में अधिकथित उसके कर्तव्यों और कृत्यों के निर्वहन में उसके किसी कार्य के लिए कोई कार्रवाई नहीं करेगा।

29द, कर्मकार निरीक्षक के कर्तव्य :—(1) कर्मकार निरीक्षक के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे :—

(क) सभी कूपकों, आनतियों, सड़कों, कार्य-स्थानों और उसके उपस्कर का, जिसके अन्तर्गत कर्मकारों की सवारी और परिवहन के लिये उपस्कर भी है, निरीक्षण करना।

(ख) किसी ऐसे खतरनाक घटना और आसन्न संकट, जो उसकी जानकारी में आये, की दशा में—

(1) प्रबंधक और निरीक्षक को सूचित करना; और

(2) संकट से बचने के लिये आवश्यक उपचारी उपाय सुझाना; और

(ग) निरीक्षक द्वारा खान के पूर्ण निरीक्षण के दौरान और अन्य ऐसे निरीक्षणों के दौरान भी जो वह आवश्यक समझे, उसके साथ रहना।

(2) कर्मकार निरीक्षक, अपने निरीक्षण के परिणामस्वरूप सुनिश्चित किये गये विषयों की पूरी रिपोर्ट खान में इस प्रयोजन के लिये रखे गये अंतःपत्रित पृष्ठ वाले और जिल्दबंद रजिस्टर में प्ररूप "प" में अभिलिखित करेगा। कर्मकार निरीक्षक, पूर्वोक्त रजिस्टर में प्रविष्टि करके, ऐसी प्रविष्टियों पर तारीख सहित हस्ताक्षर करेगा और प्रविष्टियों की एक प्रति अपने अभिलेख के लिये रख लेगा।

29घ. कर्मकार निरीक्षक की रिपोर्ट पर कार्रवाई—

(1) खान का स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक, 29द के उप-नियम (2) में उल्लिखित रजिस्टर में, रजिस्टर में प्रविष्टि करने की तारीख से 15 दिन के भीतर, टिप्पणियां दर्ज करेगा जिनमें किये गये उपचारी उपाय और वह तारीख जिसको कार्रवाई की गई थी, दर्शित होंगे।

(2) कर्मकार निरीक्षक और स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक के बीच मतभेद होने की दशा में, ऐसे मतभेद के बारे में, उस पर टिप्पणियों के साथ, रिपोर्ट की एक प्रति स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक द्वारा मुख्य निरीक्षक या कोई अन्य निरीक्षक को विनिश्चय के लिये भेजी जायेगी।

29न. सुरक्षा समिति :—हर ऐसी खान के लिये, जिसमें सामान्यतः 100 से अधिक व्यक्ति नियोजित हैं, स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक, खान में सुरक्षा के संवर्धन के लिए एक सुरक्षा समिति गठित करेगा :

परन्तु यह तब जब कि मुख्य निरीक्षक या कोई निरीक्षक, साधारण या विशेष लिखित आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट खानों के किसी समूह या किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र की सभी खानों के स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक से ऐसी रीति से, और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी वह आदेश में विनिर्दिष्ट करे, एक समूह सुरक्षा समिति गठित करने की अपेक्षा करे।

29प. सुरक्षा समिति की संरचना—सुरक्षा समिति में निम्नलिखित होंगे—

(क) प्रबंधक, जो अध्यक्ष होगा ;

(ख) प्रबंधक द्वारा नामनिर्दिष्ट खान के पांच अधिकारी या सक्षम व्यक्ति;

(ग) कर्मकार निरीक्षक के नामनिर्देशन के लिए नियम 29थ के उपनियम (1) के खंड (क) में विहित प्रक्रिया के अनुसार खान के कर्मकारों द्वारा नामनिर्दिष्ट पांच कर्मकार ;

(घ) कर्मकार निरीक्षक, जहां इस प्रकार पदाभिहित किया गया है; और

(ङ.) सुरक्षा अधिकारी, या जहां कोई सुरक्षा अधिकारी नहीं है, वहां प्रबंधक से ठीक बाद का ज्येष्ठतम खान-पदधारी जो समिति के सचिव के रूप में कार्य करेगा :

परन्तु यदि आवश्यक समझा जाए तो अध्यक्ष किसी अन्य पदधारी, सक्षम व्यक्ति या कर्मकार को, बैठक के किसी दिन या दिनों के लिए, समिति के सदस्य के रूप में सहयोजित कर सकेगा।

29फ. सुरक्षा समिति के कृत्य—समिति के कृत्य निम्नलिखित होंगे—

(1) खानों में ऐसी असुरक्षित दशाओं और पद्धतियों के विरुद्ध जिनके बारे में कर्मकार निरीक्षक की रिपोर्टों में बताया गया है, या अन्यथा समिति की जानकारी में लाया गया है उपचारी उपायों पर विचार विमर्श करना और समुचित सिफारिश करना ;

(2) किसी खान के किसी नए जिले में संक्रियाओं के प्रारंभ या नए विद्युत या यांत्रिक संस्थापन चालू करने या नई खनन तकनीक के प्रारंभ से पहले, प्रस्तावित सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी उपायों, जिनके अंतर्गत संबंधित आचार संहिताएं भी हैं पर विचार करना और समुचित सिफारिश करना ;

(3) दुर्घटना की जांच की रिपोर्ट पर विचार विमर्श करना और समुचित सिफारिश करना ;

(4) दुर्घटनाओं के विश्लेषण पर आधारित समुचित सुरक्षा अभियान तैयार करना और उसे कार्यान्वित करना ;

(5) उसके समक्ष प्रस्तुत किये गये विषय और किसी अन्य विषय पर, जो सदस्यों द्वारा उठाया जाए, विचार करने और ऐसे सिफारिशें, करने, जो वह ठीक समझे, के लिए 30 दिन में कम से कम एक बार बैठक करना; और

(6) सुरक्षा और उपजीविका जन्य स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर संसूचना के लिये एक फोरम के रूप में सेवा करना।

29ब. सुरक्षा समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन—सुरक्षा समिति की सिफारिशों की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन की अवधि के भीतर, स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक, सुरक्षा समिति के सचिव को, सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिये की गई कार्रवाई उपदर्शित करेगा।"

10. उक्त नियमों के नियम 52 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, अर्थात् :—

"52 शिक्षुओं और प्रशिक्षणार्थियों का नियोजन.—खान के किसी अनुभवी व्यक्ति के साक्षात् पर्यवेक्षण के अधीन के सिवाय 16 से 18 वर्ष की आयु का कोई शिक्षु या प्रशिक्षणार्थी खान में नियोजित नहीं किया जायेगा।

और कोई ऐसा शिक्षु या प्रशिक्षार्थी किसी खान में —

(क) किसी ऐसे कार्य पर जो असम्यक् रूप से कठिन हो; या

(ख) किसी ऐसी मशीनरी के अति निकट जहां मशीन की किसी गतिशील भाग से क्षति का जोखिम हो; या

(ग) किसी ऐसे स्थान पर जहां खनन संक्रियाओं से पैदा हुई धूल जो स्वास्थ्य को परिसंकट में डालने वाला माना जाता है,

नियुक्त नहीं किया जाएगा।"

11. उक्त नियमों के नियम 68 और 69 में "प्रबंधक" शब्द के स्थान पर, जहां-जहां वह आता है "कैंटीन भार-साधक अधिकारी" शब्द रखे जायेंगे।

12. उक्त नियमों को नियम 76 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"76. रिपोर्ट योग्य और छोटी दुर्घटनाओं के रजिस्टर :—

(1) अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (1क) द्वारा अपेक्षित रजिस्टर, प्ररूप अ में रखा जायेगा और उसकी एक प्रति संबंधित खान निरीक्षक को भेजी जायेगी।

(2) अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित रजिस्टर, प्ररूप-ट में रखा जायेगा।"

13. उक्त नियमों के नियम 82 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत: स्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"82क. उपजीविका अन्य रोग के लिए निःशक्तता भत्ता और प्रतिकर (1) अधिनियम की धारा 9 क की उप-धारा (5) के प्रथम परन्तुक के अधीन संदेय निःशक्तता भत्ता, उस मासिक मजदूरी के पचास प्रतिशत की दर से होगा जो वह अधिनियम की धारा 9 क की उपधारा (2) के अधीन स्वास्थ्य परीक्षा के लिए स्वयं को उपस्थित करने के ठीक पहले प्राप्त कर रहा था।

(2) यदि कोई व्यक्ति खान में अपने नियोजन को छोड़ने का विनिश्चय करता है, तो वह ऐसे प्रतिकर के लिए हकदार होगा जो कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) के उपबन्धों के अधीन अनुज्ञेय है, क्योंकि ऐसे रोग का लग जाना उस अधिनियम के अधीन दुर्घटना द्वारा क्षति समझी जाती है। यदि उस अधिनियम की अनुसूची III के अन्तर्गत रोग नहीं आता है, तो उसे उन्हीं दरों से निःशक्तता प्रतिकर का संदाय किया जायेगा जो उस अधिनियम के अधीन उपबंधित है मानो वह एक क्षति है। इस नियम के अधीन संदेय एक मुश्त प्रतिकर उस अधिनियम के अधीन प्रतिकर के अतिरिक्त नहीं होगा।

स्पष्टीकरण.—इस नियम के प्रयोजनों के लिये, "मजदूरी" वह वही अर्थ होगा जो कर्मकार। प्रोतकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ड) में परिभाषित है।

(3) उप नियम (1) और (2) के उपबन्ध किसी ऐसे अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे जिसका किसी खान में नियोजित व्यक्ति किसी अन्य विधि के अधीन या किसी अधिनिर्णय, करार या सेवा-संविदा के निबंधनों के अधीन हकदार हो और जब ऐसे अधिनिर्णय, करार या सेवा-संविदा में उपनियम (1) और (2) में उपबन्धित निःशक्तता प्रतिकर से अधिक अनुकूल फायदे के लिए उपबंध हो तो ऐसा व्यक्ति केवल ऐसे फायदों का हकदार होगा।"

14. उक्त नियमों की प्रथम अनुसूची में,

(क) प्ररूप क में—

(1) स्तम्भ 4 का लोप किया जाएगा।,

(2) स्तम्भ 5 और 6 को क्रमश: स्तम्भ 4 और 5 के रूप में पुन: संख्यांकित किया जाएगा।

(ख) प्ररूप ग, घ, और ङ में आये "कुमार" शब्द का लोप किया जाएगा।

(ग) प्ररूप ज में,

(1) "(नियम 76 देखिए)" कोष्ठकों, शब्दों और अंकों के स्थान पर "[नियम 76. (1) देखिए]" कोष्ठक, शब्द और अंक रखे जाएंगे।

(2) "छोटी दुर्घटनाओं की विवरणी" शब्दों के स्थान पर "रिपोर्ट योग्य दुर्घटनाओं की विवरण" शब्द रखे जायेंगे।

(3) "वर्ष.....शब्द" के स्थान पर, "..... .....को समाप्त होने वाली तिमाही" शब्द रखे जायेंगे,

(4) अनुदेश के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"टिप्पण :—पूर्ववर्ती तिमाही में क्षतिग्रस्त और इस तिमाही में लगातार अनुपस्थित रहे व्यक्ति की बाबत प्रविष्टियों की प्रतियां अलग-अलग प्रस्तुत की जानी चाहिए"।

(घ) प्ररूप ट के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात :—

प्ररूप "ट"

[नियम 76 (2) देखिए]

छोटी दुर्घटनाओं की विवरणी

खान का नाम.................................

राज्य....................जिला.——————————

स्वामी ——————————————————————

किया गया खनिज कार्य————————————————

———को समाप्त होने वाली तिमाही———————————

क्रम सं	प्रविष्टि की तारीख	दुर्घटना की तारीख	दुर्घटना का समय	वर्गीकरण	
				दुर्घटना के स्थान के अनुसार	कारण के अनुसार
1	2	3	4	5	6

दुर्घटना के मामले का संक्षिप्त वर्णन	क्षतिग्रस्त कर्मकार का नाम	प्ररूप "ख" में रजिस्टर से क्रम. सं.	नियोजन की प्रकृति	क्षति की प्रकृति
7	8	9	10	11

शरीर का क्षतिग्रस्त अंग	कार्य पर क्षतिग्रस्त व्यक्ति के लौटने की तारीख	परिचर्या करने वाले चिकित्सा व्यवसायी के आद्याक्षर	टिप्पणियां
12	13	14	15

अनुदेश :—

स्तम्भ (5) विनिर्दिष्ट कीजिए जैसा प्ररूप अ के उपबन्ध 1 में उपदर्शित है।

स्तम्भ (6) विनिर्दिष्ट कीजिए जैसा प्ररूप अ के उपाबन्ध 2 में उपदर्शित है।

स्तम्भ (7) जिन परिस्थितियों में दुर्घटना हुई उसका संक्षिप्त वर्णन दीजिए।

स्तम्भ (11) वह विनिर्दिष्ट किया जाए कि साधारण जख्म है, चीरा है, खरोंच आदि है।

स्तम्भ (15) यदि कोई क्षति "रिपोर्ट योग्य", "गंभीर" या "प्राणांतक" साबित करें या जब कोई क्षतिग्रस्त व्यक्ति छुट्टी पर चला जाए या अपना नियोजन छोड़ दे तो विशिष्टियां इस स्तम्भ में प्रविष्टि की जानी चाहिए।"

(क) प्ररूप न के पश्चात निम्नलिखित प्ररूप अंत: स्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

"प्ररूप-प

(नियम 29 द और 29 ध देखिए)

खान का नाम——————————————स्वामी——————————————

प्रबन्धक——————————————निरीक्षित स्थान/संस्थापन——————————————

——————————————कितने निरीक्षण किया——————————————

——————————————कब किया——————————————

किसके साथ किया——————————————

——————————————

सम्प्रेक्षण	सुझाए गए उपचारी उपाय	उपचारी उपायों के लिए की गई कार्रवाई	तारीख, जिसको कार्रवाई की गई	टिप्पणियां यदि कोई हों
1	2	3	4	5

तारीख सहित कर्मकार निरीक्षक के हस्ताक्षर——————————

कर्मकार निरीक्षक के साथ जाने वाले खान के पदाधिकारी के

हस्ताक्षर

पदनाम

तारीख

प्रबंधक के तारीख सहित हस्ताक्षर

15. उक्त नियमों की पंचम अनुसूची में,

(क) खण्ड 3 के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"3क. मुख्य निरीक्षक या कोई निरीक्षक या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, खानों में सुरक्षा और उप-जीविकाजन्य स्वास्थ्य सर्वेक्षण कर सकेगा । ऐसे सर्वेक्षण में परीक्षा के लिए चुने गए किसी व्यक्ति द्वारा व्यतीत किए गए समय की गिनती उसके काम के समय के साथ की जाएगी, किन्तु इस प्रकार के अतिकाल भत्ता का संदाय मजदूरी की मामूली दर पर किया जाएगा। यदि ऐसा व्यक्ति ऐसे सर्वेक्षण में चिकित्सक दृष्टया अयोग्य पाया जाता है, तो वह ऐसे उपचार की अवधि के दौरान, स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक के खर्च पर चिकित्सीय उपचार का, पूरी मजदूरी के साथ, हकदार होगा । यदि ऐसे उपचार के पश्चात् वह अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में चिकित्सक दृष्टतया अयोग्य घोषित कर दिया जाता है और यदि ऐसी अयोग्यता उसके नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित मानी जाती है, तो वह आनुकल्पिक

नियोजन या निःशक्तता भत्ता का हकदार होगा और यदि वह अपना नियोजन छोड़ना चाहता है तो एक मुश्त प्रतिकर के संदाय का हकदार होगा ।

(धारा 6क)"

(ख) खंड 5 में, निम्नलिखित अन्त में अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

"इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए विनियमों, नियमों, उपविधियों या आदेशों के उपबन्धों के किसी उल्लंघन के लिए, ऐसा व्यक्ति जो उल्लंघन करता है, संबंधित पर्यवेक्षक, खान का स्वामी, अभिकर्ता और प्रबन्धक तथा कैंटीन, शिशुगृह या गर्तमुख स्नान-गृह के मामले में, धारा 18 की उप-धारा (2) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, यदि कोई हो, दोषी समझा जाएगा ।"

(ग) (1) "दुर्घटनाएं" शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"दुर्घटनाएं और प्रतिषेधात्मक आदेश"

(2) स्तंभ 7 में; निम्नलिखित अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"उत्तरवर्ती दुर्घटनाओं का रोकने, या जीवन की रक्षा करने या लोगों को बरामद करने के सिवाय, दुर्घटना स्थल को मुख्य निरीक्षक या किसी निरीक्षक के पहुंचने से पूर्व या उसकी सहमति के बिना या दुर्घटना होने से 72 घंटे की समाप्ति से पूर्व, जो भी सबसे पहले हो अस्तव्यस्त या परिवर्तित नहीं किया जाएगा, जब तक कि दुर्घटना के स्थान पर काम रुक जाने के कारण, खान के कार्यकरण में कोई गंभीर अड़चन न आती हो ।"

(घ) खण्ड 8 के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"8क. हर एक व्यक्ति को, जिसका नियोजन अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (1क) या उप-धारा (3) के अधीन या धारा 22क की उप-धारा (2) के अधीन प्रतिषिद्ध है, सुसंगत अवधि या अकार्यकरण या आनुकल्पिक नियोजन के लिए पूरी मजदूरी का संदाय किया जाएगा ।

"धारा 22 और 22 (क)"।

(ङ) खण्ड 13 में "मजदूरी की मामूली दरें" की परिभाषा के स्थान पर निम्नलिखित परिभाषा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"मजदूरी की मामूली दरें" से अभिप्रेत है मूल मजदूरी तथा कोई महंगाई भत्ता, शुभिक्षा भत्ता, प्रोत्साहन बोनस (किन्तु सामान्य बोनस नहीं), अनाज और खाद्य तेल के निःशुल्क प्रदाय के लिए किन्तु निःशुल्क आवास, कोयला, मिट्टी के तेल, औजार और वर्दी के निःशुल्क प्रदाय, चिकित्सीय और शैक्षिक सुविधाओं, बीमारी भत्ता के लिए नहीं नकद प्रतिकर और किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसे मात्रानुपाती दर के आधार पर संदाय किया जाता है, पूर्ववर्ती सप्ताह के दौरान उसके पूर्णकालिक उपार्जन (जिनमें कोई अतिकाल सम्मिलित नहीं है) का औसत ।"

(च) खण्ड 19 और 20 के स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित खण्ड अंतः स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"19. 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति खान के किसी भाग में काम नहीं करेगा, जब तक कि वह शिशु या प्रशिक्षणार्थी न हो । ऐसे मामले में वह 18 वर्ष से कम हो सकेगा किन्तु 16 वर्ष से कम आयु का नहीं होगा ।

(धारा 40)

20. जहां किसी निरीक्षक की यह राय हो कि किसी शिशु या अन्य प्रशिक्षणार्थी से अन्यथा खान में नियोजित कोई व्यक्ति वयस्क नहीं है या खान में किसी शिशु या अन्य प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियोजित कोई व्यक्ति 16 वर्ष से कम आयु का है या काम करने के योग्य नहीं रह गया है, वहां निरीक्षक, खान के प्रबंधक पर यह अपेक्षा करते हुए सूचना तामील कर सकेगा कि ऐसे व्यक्ति की परीक्षा किसी प्रमाणकर्ता सर्जन द्वारा की जाए और यदि निरीक्षक ऐसा निदेश करे तो ऐसे व्यक्ति को किसी खान में तब तक नियोजित नहीं किया जाएगा या काम करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी तब तक किसी उसकी इस प्रकार परीक्षा न हो गई हो, और वह प्रमाणित न कर दिया गया हो कि वह वयस्क है या यदि ऐसा व्यक्ति शिशु या प्रशिणार्थी है तो वह सोलह वर्ष से कम आयु का नहीं है और काम करने के योग्य है ।

(धारा 43)"

(छ) खंड 21, 22, 23 और 24 का लोप किया जाएगा ।

(ज) खंड 26 के उप-खंड (1) में "और किसी वयस्क की दशा में इसकी योग्यता के प्रमाण-पत्र का निर्देश" शब्दों का लोप किया जाएगा और "होगा" शब्द के स्थान पर "होगी" शब्द रखा जाएगा ।

(झ) खंड 27 के उपखंड (1) (क) में "सोलह दिन" शब्दों के स्थान पर "पन्द्रह दिन" शब्द रखे जाएंगे ।

(ञ) खण्ड 27 के उप-खंड (9) के पश्चात् स्पष्टीकरण से पहले, निम्नलिखित उप-खंड अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्:"(10) यदि किसी खान में नियोजित किसी व्यक्ति को सेवान्मुक्त या पदच्युत कर दिया जाता है या वह अपना नियोजन छोड़ देता है या अधिवार्षिता पर पहुंच जाता है या सेवा में रहते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह या उसके वारिस या उसके नाम निर्देशिती शोध्य छुट्टी के बदले मजदूरी के हकदार है, यदि वह अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (10) में विहित न्यूनतम संख्या में उपस्थित रहा है।"

(ट) स्पष्टीकरण में खंड 27 के उप-खंड (10) के पश्चात् "(1) और (3)" कोष्ठकों शब्द और अंकों के स्थान पर "(1) (3) और (10)" कोष्ठक, शब्द और अंक रखे जाएंगे।

(ठ) खंड 32 में "धारा 40 के अधीन" शब्दों और अंकों के स्थान पर "धारा 43 के अधीन" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

(ड) खण्ड 33 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा अर्थात् :—

"33 यदि किसी शिक्षु या प्रशिक्षणार्थी के सिवाय 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति खान खान में नियोजित है, तो ऐसी खान का स्वामी अभिकर्ता या प्रबंधक ऐसे जुर्माने से, जो 500 रु. तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा (धारा 68)"

(ढ) खंड 38 में, "धारा 22 की उपधारा (1क), उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन" शब्दों और अंकों के पश्चात् "या धारा 22 क की उप-धारा (2) के अधीन" शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(ण) खण्ड 39 में, "धारा 22 की उपधारा (1क) या उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन" शब्दों और अंकों के पश्चात् "या धारा 22 क की उप-धारा (2) के अधीन" शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(त) खण्ड 41 के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात् "42 संरक्षा प्रबंधों या दी जाने वाली सुविधाओं या इस अधिनियम के अधीन प्रदाय किए जाने वाले किसी उपस्कर या साधित्र की बाबत खान में नियोजित किसी व्यक्ति से कोई फीस या प्रभार वसूल नहीं किया जाएगा (धारा 85 ग)"

टिप्पण :—मूल नियम, अधिसूचना सं. का. नि. आ. 1421 तारीख 2 जुलाई, 1955 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

उसका और संशोधन निम्नलिखित द्वारा किया गया :—

(1) का. नि. आ. 312, तारीख 15 जनवरी, 1957
(2) का. नि. आ. 2062, तारीख 14 जून, 1957
(3) का. नि. आ. 3744, तारीख 18 नवम्बर, 1957
(4) सा. का. नि. 607, तारीख 16 मई, 1959
(5) सा. का. नि. 228, तारीख 22 फरवरी, 1960
(6) सा. का. नि. 31 तारीख 29 दिसम्बर, 1960
(7) सा. का. नि. 239, तारीख 3 फरवरी, 1965
(8) सा. का. नि. 1886, तारीख 14 दिसम्बर, 1965
(9) सा. का. नि. 1511, तारीख 23 सितम्बर, 1966
(10) सा. का. नि. 966, तारीख 17 मई, 1968
(11) सा. का. नि. 1786, तारीख 30 सितम्बर, 1970
(12) सा. का. नि. 18, तारीख 24 दिसम्बर, 1973
(13) सा. का. नि. 557 (अ), तारीख 18 नवम्बर, 1978
(14) सा. का. नि. 656, तारीख 5 जून, 1980.

[सं. एस-65012/1/84-खान-1]
एल. के. नारायणन, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 14th April, 1986

G.S.R. 316.—Whereas a draft of certain amendments further to amend the Mines Rules, 1955 was published as required by sub-section (1) of section 59 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II-Section 3-Sub-section (i), dated the 3rd December, 1984 with the notification of the Government of India in the then Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour), No. G.S.R. 802(E), dated the 3rd December, 1984, inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of three months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 3rd December, 1984;

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 58 of the said Act, the Central Government, after referring the said draft to the Mining Boards constituted under the said Act and after giving such Boards a reasonable opportunity of reporting as to the expediency of making of the said rules and as to the suitability thereof as required by sub-section (4) of section 59 of the said Act hereby makes the following rules, further to amend the Mines Rules, 1955, namely :—

1. (1) These rules may be called the Mines (Amendment) Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. The existing clause (i) of rule 2 of the Mines Rules, 1955 (hereinafter referred to as the said rules) shall be renumbered as clause (j), before clause (j) as renumbered, the following clause shall be inserted, namely :—

"(i) "Officer-in-charge Canteen" means the person (other than the manager) whom the owner or agent may appoint for securing compliance with the provisions in respect of canteens.

3. In Chapter II of the said rules,—

(i) for the heading "Mining Board", the heading "Committee" shall be substituted;

(ii) for the word "Board" wherever it occurs, the word "Committee" shall be substituted;

(iii) for rule 3 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"3. Term of office.—The terms of office of the members referred to in clauses (c), (d) and (e) of sub-section (1) of section 12 of the Act, shall be three years from the date on which their appointment is notified in the Official Gazette :

Provided that member shall, notwithstanding the expiry of a period of three years, continue to hold office until the appointment of his successor is notified in the Official Gazette :

Provided further that a member appointed to fill a casual vacancy shall hold office for the remaining period of the term of office of the member in whose place he is appointed and shall continue to hold office on the expiry of the term of office until the appointment of his successor is notified in the Official Gazette."

(iv) for rule 4 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"4. Secretary of the Committee.—An Inspector of Mines nominated in this behalf by the Chief Inspector shall act as the Secretary to the Committee."

(v) for rule 5 of the said rules, the following rule be substituted, namely :—

"5. Remuneration.—Members of the Committee shall receive such honorarium as the Central Government may fix."

(vi) rule 6 of the said rules shall be omitted.

(vii) in rule 12 of the said rules—

(a) sub-rule (1A) shall be omitted;

(b) the existing sub-rule (2) shall be renumbered as sub-rule (3) and before sub-rule (3) as so renumbered, the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(2) Notices referred to in sub-rule (1) shall be delivered at, or posted to, the usual place of residence of the member."

(viii) in rule 14 of the said rules for the words "four members", the words "four members including the Chairman" shall be substituted.

4. In rule 22 of the said rules—

(i) in sub-rule (1) for the words "including any other expenses connected with the inquiry", the words "including any expenses incurred with the previous sanction of the Court and any other expenses connected with the inquiry which the court may direct as recoverable" shall be substituted;

(ii) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(2) The amount directed to be recovered under sub-rule (1) may, on application by the Chief Inspector or an Inspector to the concerned authority, be recovered from the owner in the same manner as an arrear of land revenue."

5. In rule 24 of the said rules,—

(i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(1) On receipt of a reference under sub-section (1) of section 43 of the Act, the certifying surgeon shall, after giving prior notice regarding date, time and place for medical examination and upon examining the persons sent-for such examination, prepare the age and fitness certificate and deliver the same to the manager of the mine concerned after retaining a copy thereof."

(ii) sub-rules (3), (4) and (5) shall be omitted.

6. Rules 25, 26 and 27 of the said rules shall be omitted.

7. In sub-rule (1) of rule 28 of the said rules, the words and figures "section 40 or" shall be omitted.

8. Rule 29 of the said rules, shall be omitted.

9. After Chapter IV of the said rules, the following Chapter shall be inserted, namely :—

"CHAPTER IV B

Workmen's Inspector and Safety Committee.

29Q. Workmen's Inspector.—(1) (a) For every mine wherein 500 or more persons are ordinarily employed, the owner, agent or manager shall designate three suitably qualified employees of the mine in consultation with the registered trade union in the mine and where there are more than one registered trade unions, the union recognised as per procedure in practice or the most representative union as per the membership records available at that point of time and if there are no registered trade unions, in consultation with the elected representative of the workmen, as technical experts, to carry out inspection of the mine on behalf of the workers employed therein, one each for mining operations, electrical installations and mechanical installations. When the number of persons employed in a mine exceeds 1500, the workmen's inspector shall be assisted by one additional workmen's inspector in mining discipline for every additional 1000 persons or part thereof.

(b) In every mine, the owner, agent or manager shall constitute, in the manner laid down in clause (a), a panel of workmen's inspectors who may serve as substitute during absence of regular workmen's inspectors.

(c) In the panel there shall be at least one workmen's inspector each for mining, electrical and mechanical installations and operations.

(2) No person shall act as a workmen's inspector of a mine unless,—

(a) he possesses an Overman's or Foreman's Certificate granted under the Act :

Provided that—

(i) in relation to electrical machinery installed in mines a person holding a valid Electrical Supervisor's Certificate of Competency covering mining installations, issued under sub-rule (1) of rule 45 read with clause (ii) of sub-rule (1) of rule 131 of the Indian Electricity Rules, 1956 framed under the Indian Electricity Act, 1910 shall be so designated; and

(ii) in relation to other machinery and mechanical appliances installed in mines a person appointed to secure the installation running and maintenance

in safe working order of machinery in the mine, being not less in status than that of an Overman, Mine Foreman or Electrical Supervisor shall be so designated.

(b) he has atleast five years of experience in mines including atleast two years in workings of the mines for which he is nominated; and

(c) he has undergone an orientation training course for workmen's inspector consisting of not less than thirty lectures and demonstrations, of not less than two hours' duration each, in accordance with the syllabus specified by and at a centre approved by the Chief Inspector by a general or special order.

(3) The workmen's inspector shall perform the duties mentioned in clause (a) of sub-rule (1) of rule 29R for two days in every week: on remaining days of the week, he shall perform his normal duties unless called upon to perform the duties mentioned in clauses (b) and (c) of sub-rule (1) of rule 29R.

(4) (a) The owner, agent or manager shall afford the workmen's inspector all reasonable facilities for making any entry, inspection, measurement, examination or inquiry in connection with his duties.

(b) An official of the mine shall accompany the workmen's inspector during his inspection.

(c) The workmen's inspector may carry out his inspections at any time.

(5) When there occurs an accident or dangerous occurrence in or about a mine, the owner, agent or manager shall forthwith inform the concerned workmens inspector about the accident or the occurrence.

(6) The workmen's inspector shall not exercise his powers to impede or obstruct the working of the mine.

(7) A workmen's inspector nominated under sub-rule (1) shall unless resigns from his office hold office for a period of three years from the date of his nomination and shall be eligible for one renomination.

(8) No owner, agent or manager shall take any action against a workmen's inspector for any of his actions in the discharge of his duties and functions laid down in these rules.

29R. Duties of workmen's inspector.—(1) The duties of the workmen's inspector shall be.—

(a) to inspect all shafts, inclines, roads, workplaces and the equipment threat including the equipment for conveyance and transport of workers;

(b) in case of any urgant and immediate danger that come to his notice—

(i) to inform the manager and the Inspector about the same: and

(ii) to suggest remedial measures necessary to avoid the danger; and

(c) to accompany the Inspector in the course of complete inspection of the mine and also during such other inspections as may be considered necessary by the Inspector.

(2) The workmen's inspector shall record a full report of the matters ascertained as a result of his inspection in an interleaved paged and bound register kept for the purpose at the mine in Form U. The workmen's inspector making the entry in the register aforesaid shall duly sign such entries with date and take a copy of the entries for his record.

29S. Action on the report of workmen's inspector.—(1) The owner, agent or manager of the mine shall enter in the register mentioned in sub-rule (2) of rule 29R, within a period of 15 days from the date of entry in the register remarks thereon showing the remedial measures taken and the date on which such action was taken.

(2) In case of any difference of opinion between the workmen's inspector and the owner, agent or manager, a copy of the report with remarks thereon regarding such difference of opinion shall be sent by the owner, agent or manager to the Chief Inspector or an Inspector for decision.

29T. Safety Committee.—For every mine wherein more than 100 persons are ordinarily employed, the owner, agent or manager shall constitute a safety committee for promoting safety in the mine :

Provided that the Chief Inspector or an Inspector may by a general or special order in writing require the owner, agent or manager of any group of specified mines or of all mines in a specified area to constitute a group safety committee in such manner and subject to such conditions as he may specify in the order.

29U. Composition of safety committee.—The Safety committee shall consist of—

(a) the manager who shall be the Chairman;

(b) five officials or competent persons of the mine nominated by the Chairman;

(c) five workmen nominated by the workmen of the mine in accordance with the procedure prescribed in clause (a) of sub-rule (1) of rule 29Q for nomination of workmen's inspector;

(d) Workmen's inspector where so designated; and

(e) the Safety Officer or where there is no Safety Officer, the senior most mine Official next to the manager, who shall act as Secretary to the Committee :

Provided that any other official, competent person or work person may be co-opted by the Chairman as a member of the committee on any day or days of the meeting, if considered necessary.

29V. Functions of safety committee.—The functions of the committee shall be—

(1) to discuss remedial measures against the unsafe conditions and practices in the mine as pointed out in the reports of workmen's inspector or otherwise brought to the notice of the committee and make appropriate recommendations;

(2) to consider, before commencement of operations in any new district of the mine or commissioning of new electrical or mechanical installation or introduction of new mining technique, the proposed safety and health measures including related codes or practice and to make appropriate recommendations;

(3) to discuss the report of inquiry into accident and make appropriate recommendations;

(4) to formulate and implement appropriate safety campaigns based on analysis of accidents;

(5) to meet at least once in 30 days to consider the matter placed before it and any other matter that may be raised by the members and make such recommendations as it may deem fit; and

(6) to serve as a forum for communication on safety and occupational health matters.

29W. Implementation of recommendations of the safety committee.—The owner, agent or manager shall, within a period of 15 days from the date of receipt of the recommendations of the safety committee, shall indicate to the Secretary to the safety committee, the action taken to implement the recommendation.

10. For rule 52 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"52. Employment of apprentices and trainees.—No apprentice or trainee of the age of sixteen to eighteen years shall be employed in a mine except under immediate supervision of a competent person and no such apprentice or trainee shall be employed in a mine—

(a) in any work which is unduly arduous; or

(b) in close proximity to any machinery involving risk of inury from any moving part of the machine; or

(c) at any place where the dust produced in mining operations is known to constitute a hazard to health."

11. In rules 68 and 69 of the said rules, for the word "manager" wherever it occurs, the words "officers-in-charge canteen" shall be substituted.

12. For rule 76 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"76. Registers of reportable and minor accidents.—(1) The register required by sub-section (1A) of section 23 of the Act shall be maintained in Form J and a copy thereof shall be sent to the concerned Isprector of Mines.

(2) The register required by sub-section (3) of section 23 of the Act shall be maintained in Form K."

13. After rule 82 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely :—

"82A. Disability allowance and compensation for occupational diseases.—(1) The disability allowance payable under first proviso to sub-section (5) of section 9A of the Act shall be at the rate of fifty percent of the monthly wages that he was in receipt of immediately before presenting himself for the medical examination under sub-section (2) of section 9A of the Act.

(2) If, a person decides to leave his employment in the mine, he shall be entitled to compensation as may be admissible under the provisions of the Workmen's Compensation Act, 1923 (8 of 1923), as contracting of such disease is deemed to be an injury by accident under that Act. In case the disease is not covered under Schedule III of that Act, he shall be paid by way of disability compensation at the same rates as provided under that Act as if it is an injury. The lump sum compensation payable under this rule shall not be in addition to the compensation payable under that Act.

Explanation.—For the purposes of this rule, "wages" shall have the same meaning as defined in clause (m) of section (1) of section 2 of the Workmen's Compensation Act, 1923 (8 of 1923).

(3) The provisions of sub-rules (1) and (2) shall not operate to the prejudice to any right to which a person employed in a mine may be entitled to under any other law or under the terms of any award, agreement or contract of service and when such award, agreement or contract of service provides for more favourable benefits than the disability compensation provided in sub-rules (1) and (2) such person shall be entitled to such benefits only.

14. In the First Schedule to the said rules,

(a) In Form A—

(i) column 4 shall be omitted;

(ii) columns 5 and 6 shall be renumbered as columns 4 and 5 respectively.

(b) The word "adolescents" occuring in Forms C, D and E shall be omitted.

(c) In Form J—

(i) for the brackets, words and figures "(See rule 76) the brackets, words and figures" [See rule 76(1)"], shall be substituted ;

(ii) for the word "Return of Minor Accidents", the words "Return of Reportable Accidents" shall be substituted;

(iii) for the word "Year....", the words "Quarter ending... " shall be substituted;

(iv) after the Instruction the following Note shall be inserted, namely :—

"Note.—Copies of entries regarding persons injured in preceding quarter(s) and who continued to absent in this quarter should also be submitted separately."

(b) for Form K the following Form shall be substituted, namely :—

"FORM K

[See rule 76 (2)]

RETURN OF MINOR ACCIDENTS

Name of the mine————————

State ————District ————————

Owner ————————————

Mineral worked————Quarter ending on————

Sl. No.	Date of entry	Date of accident	Time of accident	Classification		Brief description of case of accident	Name of injured worker
				by place of accident	by cause		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							

Sl. No. from Register in Form 'B'	Nature of employment	Nature of injury	Part of body injured	Date of return of injured person to work	Initials of attending medical practitioner	Remarks
9	10	11	12	13	14	15
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

Instruction:—

Col. (5) : Specify as indicated in Annexure I to Form J.

Col. (6) : Specify as indicated in Annexure II to Form J.

Col. (7) : Give brief description of circumstances attending the accident.

Col. (11) : Specify whether simple wound, laceration, abrasion etc.

Col. (15) : In case an injury proves 'reportable', 'Serious' or 'Fatal' or when injured person proceeds on leave or leaves his employment, particulars should be entered in this column."

(e) after Form T, the following Form shall be inserted, namely :—

"FORM—U

(*See* rule 29R and 29S)

Name of Mine.....Owner.....

Manager.....Place/Installation inspected

.....

Inspected by .....on.....

Accompanied by .....

Observations	Remedial measures suggested	Action taken for remidial measures	Date on which action taken	Remarks if any

Signature of Workmen's Inspector with date. Signature of mine official accompanying the workmen's inspector. } Signature of Manager with date."

Date	Designation

15. In the Fifth Schedule to the said rules,

(a) after clause 3, the following clause shall be inserted, namely :—

"3A. The Chief Inspector or an Inspector or an officer authorised by him may undertake safety and occupational health survey in mines. The time spent by any person chosen for examination in such survey shall be counted towards his working time, so however that any overtime shall be paid on ordinary rate of wages. If such person is found medically unfit on such survey, he shall be entitled to medical treatment at the cost of the owner, agent or manager, with full wages, during the period of such treatment. If after such treatment he is declared medically unfit to discharge his duty, and if such unfitness is directly ascribable to his employment he shall be entitled for an alternative employment or a disability allowance and in case he desires to leave the employment, for payment of a lump sum compensation. (Section 9A)."

(b) in clause 5, the following shall be inserted at the end, namely :—

"For any contravention of the provisions of this Act or of the Regulations, Rules, Bye-laws or orders made thereunder, the person who contravenes, the concerned supervisor, the owner, the agent and the manager of the mines and in matters of canteen, creched or pithead bath, the person appointed, if any, under sub-section (2) of section 18 shall be deemed to be guilty."

(c) (i) For the heading "Accidents", the following heading shall be substituted, namely :—

"Accidents and Prohibitory Orders".

(ii) in clause 7, the following shall be inserted at the end, namely :—

"Except for preventing further accidents or for saving life or for recovering dead bodies, the place of accident shall not be disturbed or altered before the arrival or without the consent of the chief Inspector or an Inspector or before the expiry of 72 hours therefrom, whichever is the earliest, unless discontinuance of work at the place of accident would seriously impede the working of the mine".

(d) after clause 8, the following clause shall be inserted, namely :—

"8A. Every person whose employment is prohibited under sub-section (1A) or sub-section (3) of section 22 or under sub-section (2) of section 22A of the Act, shall be paid the full wages for the relevant period or provided with alternative employment (Sections 22 and 22A)".

(e) in clause 13, for the definition of "Ordinary rate of wages", the following definition shall be substituted namely :—

" 'Ordinary rate of wages' means the basic wages plus any dearness allowance, underground allowance, incentive bonus (but not ordinary bonus), compensation in cash against free supply of foodgrains and edible oils (but not against free housing, free supply of coal, kerosene oil, tools and uniforms, medical and educational facilities, sickness allowance) and in case of a person paid on piece-rate basis, the average of his full-time earnings (exclusive of any overtime) during the preceding week."

(f) for clauses 19 and 20, the following clauses shall respectively be substituted, namely :—

"19. A person below 18 years of age shall not work in any part of a mine unless he is an apprentice or a trainee in which case he may be below 18 years but not below 16 years of age. (Section 40).

20. Where an Inspector is of opinion that any person employed in a mine other wise than as an apprentice or other trainee is not an adult or that any person employed in a mine as an apprentice or other trainee is either below sixteen-years of age or is no longer fit to work, the Inspector may serve on the manger of the mine a notice requiring that such person shall be examined by a certifying surgeon and such person, shall not, if the Inspector so directs, be employed or permitted to work in any mine until he has been so examined and has been certified that he is an adult or, if such person is an apprentice or trainee, that he is not below sixteen years of age and is fit to work (Section 43)."

(g) clauses 21, 22, 23 and 24 shall be omitted.

(h) in sub-clause (1) of clause 26, the words "and in case of an adolescent reference to the certificate of fitness" shall be omitted.

(i) in sub-clause (1) (a) of clause 27 for the words, "sixteen days", the words "fifteen days" shall be substituted.

(j) after sub-clause (9) of clause 27 before the explanation, the following sub-clause shall be inserted, namely:—

"(10) If a person employed in a mine is discharged or dismissed or quits his employment or is superannuated or dies while in service, he or his heirs or his nominees is entitled to wages in lieu of leave due if he has put in the minimum number of attendance prescribed in sub-section (10) of section 52 of the Act."

(k) in the explanation after sub-clause (10) of clause 27 for the brackets, word and figure "(1) and (3)" the brackets word and figures "(1), (3) and (10)" shall be substituted.

(l) in clause 32 for the words and figures "under section 40", the words and figures "under section 43" shall be substituted.

(m) for clause 33, the following clause shall be substituted, namely:—

"33. If any person below 18 years of age is employed in a mine except as an apprentice or trainee, the owner, agent or manager of such mines shall be punishable with fine upto Rs. 500 Section (68)."

(n) in clause 38, after the word and figure "section 22" the words and figure "or, under sub-section (2) of Section 22A" shall be inserted.

(o) in clause 39, after the word and figure "Section 22", the words and figures "or, under sub-section (2) of section 22A" shall be inserted.

(p) after clause 41, the following clause shall be added, namely:—

"42. No fee or charge shall be realised from any person employed in a mine in respect of any protective arrangements or facilities to be provided or any equipment or appliances to be supplied under the Act (Section 85C)."

Note :—Principal rules were published vide notification No. S.R.O. 1421 dated the 2nd July, 1955.

Further amended by —

(1) S.R.O. 312, dated the 15th January, 1957.

(2) S.R.O. 2062, dated the 14th June, 1957.

(3) S.R.O. 3744, dated the 18th November, 1957.

(4) G.S.R. 607, dated the 16th May, 1959.

(5) G.S.R. 228, dated the 22nd February, 1960.

(6) G.S.R. 31, dated the 29th December, 1960.

(7) G.S.R. 239, dated the 3rd February, 1965.

(8) G.S.R. 1886, dated the 14th December, 1965.

(9) G.S.R. 1511, dated the 23rd September, 1966.

(10) G.S.R. 966, dated the 17th May, 1968.

(11) G.S.R. 1786, dated the 30th September, 1970.

(12) G.S.R. 18, dated the 24th December, 1973.

(13) G.S.R. 557(E), dated the 18th November, 1978.

(14) G.S.R. 656, dated the 5th June, 1980.

[No. S-65012/1/84-MI]

L. K. NARAYANAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 1986

सा. का. नि. 317.—ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) केन्द्रीय नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाना चाहती है, उक्त धारा की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह प्रकाशित की जाती है, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा।

किसी ऐसे आक्षेप या सुझाव पर, जो उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले उक्त प्रारूप नियमों की बाबत किसी व्यक्ति से प्राप्त होगा, केन्द्रीय सरकार विचार करेगी।

प्रारूप नियम

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) केन्द्रीय (संशोधन) नियम, 1986 है।

2. ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) केन्द्रीय नियम, 1971 में,

(1) नियम 17 के उप नियम (2) में, "खजाना रसीद" शब्दों के स्थान पर "मांगदेय ड्राफ्ट" शब्द रखे जाएंगे।

(2) नियम 20 के उप नियम (1) में—

(क) "निक्षेप करने" शब्दों के स्थान पर "संदाय करने" शब्द रखे जाएंगे,

(ख) "खजाना रसीद" शब्दों के स्थान पर "मांगदेय ड्राफ्ट" शब्द रखे जाएंगे;

(3) नियम 21 के उपनियम (5) में, "खजाना रसीद" शब्दों के स्थान पर "मांगदेय ड्राफ्ट" शब्द रखे जाएंगे;

(4) नियम 25 के उपनियम (2) में खंड "(IX)" को खंड "(X)" के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित खंड (X) के पहले निम्नलिखित खंड अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(IX) अनुज्ञप्ति की एक प्रति ऐसे परिसर में, जहां ठेका कार्य चल रहा है, प्रमुख रूप से संप्रदर्शित की जाएगी",

(5) नियम 28 के उपनियम (3) खंड (i) और (ii) में, "खजाना रसीद" शब्दों के स्थान पर जहां-जहां वे आते हैं, "मांगदेय ड्राफ्ट" शब्द रखे जाएंगे,

(6) नियम 32 के उपनियम (2) में, "यथास्थिति, समुचित रजिस्ट्रीकरण या अनुज्ञापन अधिकारी के पक्ष में लिखी गई खजाना रसीद या क्रास पोस्टल आर्डर" शब्दों के स्थान पर "वेतन और लेखा अधिकारी, मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) का कार्यालय, नई दिल्ली के पक्ष में लिखा गया मांगदेय ड्राफ्ट" शब्द रखे जाएंगे;

(7) नियम 33 के उपनियम (i) के खंड (ii) में, "खजाना रसीद" शब्दों के स्थान पर "मांगदेय ड्राफ्ट" शब्द रखे जाएंगे,

(8) नियम 38 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

38 (1) फीस का संदाय—प्रतिभूति निक्षेप, रजिस्ट्रीकरण फीस, अनुज्ञप्ति फीस, अपील, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणों की दूसरी प्रति के प्रदाय मद्धे और अधिनियम और नियमों के किसी अन्य उपबंधों निबंधनों के अनुसार संदेय धन की सब रकम का संदाय उपाबंध "क" में उपदर्शित अधिकारियों के पक्ष में लिखे गए क्रास मांगदेय ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा और उक्त उपाबंध के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों के मुख्यालय में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में में देय होगा। ऐसे सभी मांगदेय ड्राफ्ट के साथ प्ररूप सं. टी आर-6 (तीन प्रतियों में) में चालान होगा जिसमें संदाय आदि के ब्यौरे उपदर्शित होंगे।

(2) पक्षकार से मांगदेय ड्राफ्ट प्राप्त होने पर, यथास्थिति अनुज्ञापन अधिकारी, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या अपील अधिकारी, उस बैंक में, जिसमें उसका खाता प्रादेशिक श्रम आयुक्त/सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) की हैसियत से आहरण और संवितरक अधिकारी के रूप में है, समुचित लेखे में रकम के जमा किए जाने की व्यवस्था करेगा। सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) दिल्ली, "वेतन और लेखा अधिकारी" मुख्य श्रम आयुक्त, नई दिल्ली, के खाते मे मांगदेय ड्राफ्ट को, भारतीय स्टेट बैंक केन्द्रीय सचिवालय शाखा में जमा करेगा।

(3) उक्त उपाबंध में विनिर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा मांगदेय ड्राफ्टों के रूप में प्राप्त संदायों को नीचे दर्शित खातों के सुसंगत शीर्षों में जमा किया जाएगा—

रजिस्ट्रीकरण फीस-"087-ठेका श्रम (विनियमन और उत्पाद) केन्द्रीय नियम, 1971 के अधीन श्रम और रोजगार फीस (जो वेतन और लेखा अधिकारी (मुख्य श्रम आयुक्त) श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली, की बहियों में समायोज्य है,"।

अनुज्ञापन फीस—"087-ठेका श्रम (विनियमन और उत्पाद) केन्द्रीय नियम, 1971 के अधीन श्रम और रोजगार फीस (जो वेतन और लेखा अधिकारी) (मुख्य श्रम आयुक्त), श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली की बहियों में समायोज्य है।"।

प्रतिभूति निक्षेप—निक्षेप और अग्रिम (1) ऐसे निक्षेप जिन पर ब्याज नहीं है 843-सिविल निक्षेप, केन्द्रीय/राज्य अधिनियमों के अधीन प्रतिभूति निक्षेप-ठेका श्रम (विनियमन और उत्पाद) अधिनियम, 1970 के अधीन निक्षेप (जो वेतन और लेखा अधिकारी) (मुख्य श्रम आयुक्त) श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली, की बहियों में समायोज्य है"।

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्रों की दूसरी प्रति

"087 ठेका श्रम अपील (विनियमन और उत्पादन) केन्द्रीय नियम, 1971 के अधीन श्रम और रोजगार फीस",

(9) नियम 80 में, उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा—अर्थात् :

"(2) ऐसे रजिस्टर, सुपाठ्य अंग्रेजी और हिन्दी में या स्थापन में नियोजित अधिकांश व्यक्तियों की समझ में आने वाली भाषा में रखे जाएंगे।"

(10) नियम 82 में उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

"82(3) इस नियम के अधीन ठेकेदार मुख्य नियोजक द्वारा दी जाने वाली विवरणियां सही पूर्ण और सब बातों अद्यतन होंगी।"

(11) प्ररूप 1 में मद 7 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् :—

"7. संलग्न मांगदेय ड्राफ्ट की विशिष्टिट—(स्टेट बैंक का नाम, रकम, मांगदेय ड्राफ्ट और तारीख)",

(12) प्ररूप IV में मद 9 और 10 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् :—

"9. अनुज्ञप्ति फीस की रकम—स्टेट बैंक का नाम' मांगदेय ड्राफ्ट संख्यांक और तारीख ।"
"10. प्रतिभूति निक्षेप की रकम—स्टेट बैंक का नाम, मांगदेय ड्राफ्ट संख्यांक और तारीख ।

पण : आवेदन के साथ मांगदेय ड्राफ्ट और चालान तथा मुख्य नियोजक समुचित रकम का प्ररूप V में एक प्रमाणपत्र होगा "मांगदेय ड्राफ्ट" के साथ आवेदन प्राप्त करने की तारीख से फीस प्रतिभूति निक्षेप के लिए चालान ।"

(13) प्ररूप Vक में स्तंभ 5 और स्तंभ 7 के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित स्तंभ रखे जाएंगे अर्थात् :—

स्तंभ 5—पूर्व अनुज्ञप्ति की बाबत प्रतिभूति निक्षेप के मांगदेय ड्राफ्ट का संख्यांक और तारीख।

(5)"

स्तंभ 7—नये ठेके के लिए अपेक्षित प्रतिभूति निक्षेप यदि कोई हो, के अतिशेष का मांगदेय ड्राफ्ट का संख्यांक और तारीख ।

(7)"

(14) प्ररूप VI में उपाबंध में शर्त सं. 9 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा अर्थात् :—

"10. अनुज्ञप्तिधारी, प्रत्येक ठेका कार्य के प्रारम्भ और पूरा किए जाने के पन्द्रह दिन के भीतर अधिनियम की धारा 28 के अधीन नियुक्त निरीक्षक को यथास्थिति ऐसे ठेका कार्य के प्रारम्भ या पूरा किए जाने की वास्तविक तारीख प्ररूप VI क में सूचित करते हुए एक विवरणी प्रस्तुत करेगा।"

(15) प्ररूप VII में मद 5 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् :—

"5 बैंक का नाम' संलग्न मांगदेय ड्राफ्ट का संख्यांक और तारीख ।"

"मांगदेय ड्राफ्ट संख्यांक और तारीख" के साथ आवेदन प्राप्त करने की तारीख";

(16) प्ररूप VIII में मद 7 के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी अर्थात् :—

"7. संलग्न मांगदेय ड्राफ्ट की विशिष्टियां (स्टेट बैंक का नाम, मांगदेय ड्राफ्ट का संख्यांक और तारीख)"

(17) प्ररूप X (क) में मद 8 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"8. संदत्त अनुज्ञप्ति फीस की रकम—स्टेट बैंक का नाम, मांगदेय ड्राफ्ट का संख्यांक और तारीख ।"

(ख) मद 8 के पश्चात् निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् :—

"9. प्रतिभूति निक्षेप की रकम—स्टेट बैंक का नाम, मांगदेय ड्राफ्ट का संख्यांक और तारीख ।

फीस/प्रतिभूति निक्षप के लिए मांगदेय ड्राफ्ट के साथ आवेदन प्राप्त करने की तारीख ।"

[एस-16011/2/77-एल.डब्ल्यू]

आर० के० दास, अवर सचिव

उपाबंध "क"

नियम 138(1)

क्रम संख्यांक	अधिकारी	अधिकारियों के मुख्यालय
1	2	3
1.	ए.एल.सी. (सी), दिल्ली	दिल्ली
2.	आर एल सी (सी), अजमेर	अजमेर
3.	ए एल सी (सी), अजमेर	अजमेर
4.	ए एल सी (सी), आदिपुर	आदिपुर
5.	आर एल सी (सी), आसनसोल	आसनसोल
6.	ए एल सी (सी); आसनसोल	आसनसोल
7.	आर एल सी (सी), मुम्बई	मुम्बई
8.	ए एल सी (सी), मुम्बई	मुम्बई
9.	ए एल सी (सी); नागपुर	नागपुर
10.	ए एल सी (सी), वास्को-डि-गामा	वास्को-डि-गामा
11.	आर एल सी (सी), कलकत्ता	कलकत्ता
12.	ए एल सी (सी), कलकत्ता	कलकत्ता
13.	मार एल सी (सी), गौहाटी	गौहाटी
14.	आर एल सी (सी), धनबाद	धनबाद
15.	ए एल सी (सी). धनबाद	धनबाद
16.	ए एल सी (सी), चाईबासा	चाईबासा

(13) In Form VA, for column 5 and column 7, the following columns shall respectively be substituted, namely :—

Column 5.—"No. and date of the demand draft of security deposit in respect of the previous licence.

(5)"

Column 7.—"No. and date of the demand draft of the balance of security deposit, if any, required on the fresh contract.

(7)";

(1)	(2)	(3)
1.	ALC (C), Delhi	Delhi
2.	RLC (C), Ajmer	Ajmer
3.	ALC (C), Ajmer	Ajmer
4.	ALC (C), Adipur	Adipur
5.	RLC (C), Asansol	Asansol
6.	ALC (C), Asansol	Asansol
7.	RLC (C), Bombay	Bombay
8.	ALC (C), Bombay	Bombay

17. ए एल सी (सी), हजारीबाग	हजारीबाग
18. आर एल सी (सी), हैदराबाद	हैदराबाद
19. ए एल सी (सी), हैदराबाद	हैदराबाद
20. ए एल सी (सी), विजयवाडा	विजयवाडा
21. ए एल सी (सी), विशाखापत्तनम	विशाखापत्तनम
22. आर एल सी (सी), जबलपुर	जबलपुर
23. ए एल सी (सी), जबलपुर	जबलपुर
24. ए एल सी (सी), रायपुर	रायपुर
25. ए एल सी (सी), शहडोल	शहडोल
26. आर एल सी (सी), कानपुर	कानपुर
27. ए एल सी (सी), कानपुर	कानपुर
28. आर एल सी (सी), चंडीगढ़	चंडीगढ़
29. आर एल सी (सी), भुवनेश्वर	भुवनेश्वर
30. ए एल सी (सी), भुवनेश्वर	भुवनेश्वर
31. आर एल सी (सी), मद्रास	मद्रास
32. ए एल सी (सी), मद्रास	मद्रास
33. ए एल सी (सी), एर्नाकुलम	एर्नाकुलम
34. आर एल सी (सी), बंगलौर	बंगलौर
35. ए एल सी (सी), बेल्लरी	बेल्लरी
36. ए एल सी (सी), देहरादून	देहरादून
37. ए एल सी (सी), रोहतक	रोहतक
38. ए एल सी (सी), जगदलपुर	जगदलपुर
39. ए एल सी (सी), जयपुर	जयपुर
40. ए एल सी (सी), कोलार गोल्डन्फील्ड्स	कोलार गोल्डन्फील्ड्स

New Delhi, the 15th April, 1986

G.S.R. 317.—The following drafts of rules further to amend the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules 1971 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 35 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act 1970 (37 of 1970) is herby published as requird by sub-section (i) of said section for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty five days from the date on which copies of the official Gazette in which this notification is published is made available to the public.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period specified above will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. These rules may be called the Central Labour (Regulation and Abolition) Central (Amendment) Rules 1986.

2. In the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules 1971,

(1) In sub-rule (2) of rule 17, for the words "treasury receipt", the words, "demand draft" shall be substituted;

(2) In sub-rule (1) of rule 20 —

(a) for the word, 'deposit', the word 'pay' shall be substituted;

(b) for the words, 'treasury receipt', the words, 'demand draft' shall be substituted;

(3) In sub-rule (5) of rule 21, for the words "treasury receipt", the words "demand draft" shall be substituted;

(4) in sub-rule (2) of rule 25 clause "(ix)", shall be re-numbered as clause "(x)" and before clause (x) as so re-numbered, the following clause shall be inserted; namely:—

"(ix) a copy of the licence shall be displayed prominantly at the premises where the contract work is being carried on";

(5) In sub-rule (3) of rule 28 in clause (i) and (ii) for the words "treasury receipt", wherever they occur, the words, "demand draft" shall be substituted;

(6) In subrule (2) of rule 32, for the words "treasury receipt or a Crossed Postal Order drawn in favour of the appropriate registering or licensing officer, as the case may be." the words, "Demand Draft drawn in favour of the Pay and Accounts Officer, Office of the Chief Labour Commissioner (Central), New Delhi" shall be substituted;

(7) In clause (ii) of sub-rule (i) of rule 33, for the words, "treasury receipt" the words, "demand draft" shall be substituted;

(8) For rule 38, the following rule shall be substituted, namely:—

38(1) Payment of Fees.—All amounts of money payable on account of security deposit, registration fees, licence fee, appeal, supply of duplicate copies of registration certificates and in terms of any other provisions of the Act and rules shall be paid through a crossed demand draft drawn in favour of the officers as shown in Annexure 'A' and made payable at branch of the State Bank of India at the headquarters of the officers specified in column (3) of the said Annexure. All such demand drafts shall be accompanied by a challan in form No. TR-G (in triplicate) indicating the details of payments etc.

(2) The licencing officer, the registering officer or the Appellate Authority, as the case may be, on receipt of the demand draft from the party shall arrange to deposit the amount in the appropriate account in the Bank with which he, in his capacity as Regional Labour Commissioner/Assistant Labour Commissioner (Central) as Drawing and Disbursing Officer is in account. The Assistant Labour Commissioner (Central), Delhi shall deposit the demand draft in the State Bank of India, Central Secretariat Branch in the Account of "Pay and Accounts Officer", Chief Labour Commissioner, New Delhi.

(3) The payments received by the officers specified in the said Annexure by way of demand drafts shall be deposited in the relevant heads of accounts as shown below :—

Registration fees.—"087—Labour and Employment—fees under Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules 1971 (adjustable in the books of the Pay and Accounts Officer, (Chief Labour Commissioner), Ministry of Labour, New Delhi".

Licencing fees.—"087—Labour and Employment—Fees under the Contract Labour (Regulation and Aboli-

tion) Central Rules 1971 (adjustable in the books of the Pay and Accounts Officer, Chief Labour Commissioner), Ministry of Labour, New Delhi.

Security deposits.—Deposits and Advances (—) deposits not bearing interest 843—Civil Deposits under Contract Labour (Regulation and Abolition) Act 1970 (adjustable in the books of the Pay and Accounts Officer|Chief Labour Commissioner) Ministry of Labour, New Delhi".

Duplicate copy of the registration certificates.—"087 Labour and Employment Fee under Contract Labour Appeals (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971";

(9) In rule 80, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(2) Such registers shall be maintained legibly in English and Hindi or in the language understood by the majority of the persons employed in the establishment".

(10) In rule 82, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted namely :—

"82(3) The returns to be submitted under this rule by contractor|principal employer shall be correct, complete and uptodate in all respects.";

(11) In Form I, for item 7, the following shall be substituted, namely :—

"7. Particular of demand draft enclosed————(Name of the State Bank, amount, demand draft and date)";

(12) In Form IV, for items 9 and 10, the following be substituted, namely :—

"9. Amount of licence fee.—Name of the State Bank, Number of demand draft and date."

"10. Amount of security deposit.—Name of the State Bank, demand draft No. and date.

Note :—The application shall be accompanied by a demand draft and the challan for the appropriate amount and a certificate in Form V from the principal employer————————date of the receipt of the application with 'demand draft' and the challan for fees|security deposit.";

(13) In Form VA, for column 5 and column 7, the following columns shall respectively be substituted, namely :—

Column 5.—"No. and date of the demand draft of security deposit in respect of the previous licence.

(5)"

Column 7.—"No. and date of the demand draft of the balance of security deposit, if any, required on the fresh contract.

(7)";

(14) In Form VI, in Annexure, after condition No. 9, the following shall be added, namely :—

"10. The licence shall, within fifteen days of the commencement and completion of each contract work submit a return to the inspector appointed under section 28 of the Act intimating the actual date of the commencement or, as the case may be, completion of such contract work in Form VIA.";

(15) In Form VII, for items 5, the following shall be substituted, namely : "5, Name of the Bank, number and date of the demand draft enclosed. Date of receipt of the application with demand draft number and date";

(16) In Form VIII, for item 7, the following item shall be substituted, namely :—

"7. Particulars of demand draft enclosed (name of the State Bank, No. of demand draft and date");

(17) In Form X, for item 8, the following shall be substituted, namely :—

"8. Amount of licence fee paid.—name of the State Bank, No. of demand draft and date.";

(b) After item 8, the following shall be substituted, namely :—

"9. Amount of security deposit.—name of the State Bank, No. of the demand draft and date. Date of the receipt of the application with demand draft for fees|security deposite."

R. K. DAS, Under Secy.

[S|160!1|2|77-LW]

ANNEXURE 'A'

[Rule 38(1)]

Serial Number	Officers	Headquarters of the Officers
(1)	(2)	(3)
1.	ALC (C), Delhi	Delhi
2.	RLC (C), Ajmer	Ajmer
3.	ALC (C), Ajmer	Ajmer
4.	ALC (C), Adipur	Adipur
5.	RLC (C), Asansol	Asansol
6.	ALC (C), Asansol	Asansol
7.	RLC (C), Bombay	Bombay
8.	ALC (C), Bombay	Bombay

1	2	3
9.	ALC (C), Nagpur	Nagpur
10.	ALC (C), Vasco-De-Gama	Vasco-De-Gama
11.	RLC (C), Calcutta	Calcutta
12.	ALC (C), Calcutta	Calcutta
13.	RLC (C), Gauhati	Gauhati
14.	RLC (C), Dhanbad	Dhanbad
15.	ALC (C), Dhanbad	Dhanbad
16.	ALC (C), Chaibasa	Chaibasa
17.	ALC (C), Hazaribagh	Hazaribagh
18.	RLC (C), Hyderabad	Hyderabad
19.	ALC (C), Hyderabad	Hyderabad
20.	ALC (C), Vijayawada	Vijayawada
21.	ALC (C), Visakhapatnam	Visakhapatnam
22.	RLC (C), Jabalpur	Jabalpur
23.	ALC (C), Jabalpur	Jabalpur
24.	ALC (C), Raipur	Raipur
25.	ALC (C), Shahdol	Shahdol
26.	RLC (C), Kanpur	Kanpur
27.	ALC (C), Kanpur	Kanpur
28.	RLC (C), Chandigarh	Chandigarh
29.	RLC (C), Bhubaneshwar	Bhubaneshwar
30.	ALC (C), Bhubaneshwar	Bhubaneshwar
31.	RLC (C), Madras	Madras
32.	ALC (C), Madras	Madras
33.	ALC (C), Ernakulam	Ernakulam
34.	RLC (C), Bangalore	Bangalore
35.	ALC (C), Bellary	Bellary
36.	ALC (C), Dehradun	Dheradun
37.	ALC (C), Rohtak	Rohtak
38.	ALC (C), Jagdalpur	Jagdalpur
39.	ALC (C), Jaipur	Jaipur
40.	ALC (C), Kolar Gold Fields	Kolar Gold Fields.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986